54वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 2022-23

## 54<sup>th</sup>ANNUAL ASSESSMENT REPORT 2022-23



भारत सरकार Government of India राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय Department of Official Language, Ministry of Home Affairs हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु बनाए गए कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन के संबंध में

# 54वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 2022-23

## 54<sup>th</sup>ANNUAL ASSESSMENT REPORT 2022-23

Regarding Programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union and its implementation



भारत सरकार Government of India राजभाषा विभाग Department of Official Language गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs

### CONTENTS

		Page No.
FOREWORD		ii
CHAPTER-1	Official Language Policy of the Union	1-3
CHAPTER-2	Part-A: Data regarding Implementation of the Official Language Policy received from various Ministries/Departments/Offices for the year 2022-23	4-24
	Part-B: Assessment of implementation of the Official Language Policy in Ministries/ Departments and their Attached /Subordinate offices, Corporations, Undertakings and Banks etc., during the year 2022-23	25-28
CHAPTER-3	Shortcomings noticed in the implementation of the Official Language Policy, remedial measures for removing them and suggestions for better implementation of the Official Language Policy	29-30

## विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		ii
अध्याय-1	संघ की राजभाषा नीति	1-3
अध्याय-2	भाग-क: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से प्राप्त वर्ष 2022-23 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े	4-24
	भाग-ख: मंत्रालयों/विभागों एवं उनके संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों और बैंकों आदि द्वारा वर्ष <b>2022-23</b> में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य का मूल्यांकन	25-28
अध्याय-3	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां, उनके निराकरण के लिए सुधारात्मक उपाय और राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव	29-30

#### FOREWORD

Under Article 343(1) of the Constitution, Hindi shall be the Official Language of the Union. Article 351 says that it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi Language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. As per Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963; resolutions, general orders, rules, notifications, administrative and other reports, press communiqués, administrative and other reports and official papers to be laid before a House or Houses of Parliament, contracts, agreements, licenses, permits, tender notices and forms of tenders shall be issued bilingually, both in Hindi and English. The Official Language Resolution was passed by both the Houses of Parliament in December, 1967 and was circulated vide Ministry of Home Affairs O.M.No. 5/8/65-O.L. dated 18<sup>th</sup> January, 1968. It was resolved that "a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union and an Annual Assessment Report giving details of the measures taken and the progress achieved shall be laid on the Table of both the Houses of Parliament and sent to all State Governments". Annual Programme for the year 2022-2023 was sent for compliance to all the offices of the Central Government by the Department of Official Language. Besides, concerted efforts for implementing the provisions of the Annual Programme, were also made throughout the year. The present assessment report is based on the analysis of information, data and progress reports received from various Ministries/Departments etc.

Continuous efforts have been made by the Ministries/Departments of the Central Government to accelerate the use of Official Language Hindi in their Attached/Subordinate offices, Undertakings, Corporations, Banks etc., also. As a result, there has been improvement in the progressive use of Hindi in many spheres during the year 2022-2023 as compared to the year 2021-2022. However, targets laid down for many items in the Annual Programme for the year 2022-2023 could not be achieved. In such cases, attention of the concerned offices was drawn towards the deficiencies on receipt of the quarterly reports and at the time of inspection of the Ministries/Departments, Undertakings, Attached and Subordinate offices etc.

Constant monitoring was done on the progress of implementation through the Hindi Advisory Committee of the Ministries/Departments, their Official Language Implementation Committees, Official Language Implementation Committees of Attached/Subordinate offices, Undertakings and Banks as well as various Town Official Language Implementation Committees.

Sustained efforts were made in the field of translation work, training of officers/employees including Hindi /Hindi typing/Hindi shorthand to typists/stenographers. Though desired success could not be achieved in a number of offices, our efforts continue.

The position regarding the implementation of the Official Language during the year 2022-2023 in various Ministries/Departments/Offices has been given in Chapter-2 of this Report. It is expected that in the ensuing years, concerned offices would not only remove the deficiencies mentioned in this report but also make substantial progress.

The 53<sup>rd</sup> Annual Assessment Report for the year 2021-2022 was prepared and laid on the table of both the Houses of Parliament. This is the 54<sup>th</sup> report in the series, for the year 2022-2023. We believe that this Assessment will help to give right direction to the progressive use of Hindi and its use will gain momentum.

June, 2024

Department of Official Language Ministry of Home Affairs, Government of India New Delhi

### प्राक्कथन

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 351 में यह उल्लिखित है कि संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार-प्रसार का संवर्द्धन एवं इसका विकास करे ताकि यह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार-संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टों, प्रैस विज्ञप्तियों, संसद के किसी सदन अथवा सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों व सरकारी कागजात, संविदाओं, करारों, अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञा पत्रों, निविदा सूचनाओं, निविदा प्रपत्रों को द्विभाषी अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी किया जाएगा । संसद के दोनों सदनों में दिसंबर, 1967 में राजभाषा संकल्प पारित किया गया था जो गृह मंत्रालय के दिनांक 18 जनवरी, 1968 के का.ज्ञा. संख्या 5/8/65-रा.भा. द्वारा परिचालित किया गया था । यह संकल्प किया गया था कि 'हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करके कार्यान्वित किया जाएगा तथा इस संबंध में किए गए उपायों एवं प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी । राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 का वार्षिक कार्यक्रम केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के अनुपालन के लिए भेजा गया था । इसके साथ-साथ वार्षिक कार्यक्रम में की गई व्यवस्थाओं के अनुपालन के लिए पूरे वर्ष गहन प्रयत्न भी किए गए । वर्तमान मूल्यांकन रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि से प्राप्त सूचनाओं, आंकड़ों तथा प्रगति रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित है ।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, बैंकों आदि में भी राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं । इन प्रयासों के फलस्वरूप 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में कई क्षेत्रों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में सुधार हुआ है । तथापि, वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्यक्रम में कई मदों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन्हें पूरा नहीं किया जा सका । ऐसे मामलों में तिमाही रिपोर्टों के प्राप्त होने पर तथा मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों आदि में निरीक्षणों के समय संबंधित कार्यालयों का ध्यान कमियों की ओर आकर्षित किया गया ।

मंत्रालयों/ विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों, उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों के साथ ही विभिन्न बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर निगरानी की गई ।

अनुवाद कार्य के क्षेत्र में, अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी पढ़ाने और टंककों/आशुलिपिकों को क्रमश: हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित करने के निरंतर प्रयास किए गए । हालांकि कई कार्यालयों में आशानुकूल सफलता नहीं मिली, फिर भी हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं ।

इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वर्ष 2022-23 के दौरान राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति दी गई है। यह आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में संबंधित कार्यालय इस रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को न केवल दूर करेंगे बल्कि पर्याप्त प्रगति भी करेंगे ।

इससे पूर्व वर्ष 2021-22 की 53वीं मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी । उसी क्रम में अब वर्ष 2022-23 की 54वीं रिपोर्ट प्रस्तुत है । हमें विश्वास है कि यह मूल्यांकन हिंदी के प्रगामी प्रयोग को उचित दिशा देने में सहायक होगा तथा इससे हिंदी के प्रयोग में और तेजी आएगी ।

> राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली

जून, 2024

### **CHAPTER-1**

#### THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY OF THE UNION

#### **Constitutional Position**

According to Article 343(1) of the Constitution, Hindi in Devanagari script is the Official Language of the Union. However, clause 2 of Article 343 provided for continued use of English for official purposes of the Union for a period of 15 years from the commencement of the Constitution i.e., till 26<sup>th</sup> January, 1965. It further provided that during the said period, the President may, by an order, authorize the use of Hindi, in addition to English, for any work specified in such order. Article 343(3) empowered Parliament by law to provide for the continued use of the English language for specified official purposes even after 26<sup>th</sup> January, 1965. In exercise of this authority, the Official Languages Act, 1963 was passed enabling continued use of English beyond the said 15 years for the official purposes of the Union.

Article 344 of the Constitution provided for constituting a Commission by the President after the expiration of five years from the commencement of the Constitution and thereafter after 10 years from such commencement, consisting of a Chairman and such other members representing the different languages mentioned in the VIII schedule of the Constitution

The Commission was required to make recommendations to the President regarding -

- (a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;
- (b) restriction of the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;
- (c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in Article 348;
- (d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;
- (e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the Official Language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.

In making recommendations, the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India and just claims and interests of persons belonging to the Non-Hindi speaking areas with regard to the Public Services.

The Article 344 further provided for constituting a committee consisting of 30 Members of Parliament - 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha elected respectively by the members of two Houses in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote.

The Committee was mandated to examine the recommendations of the Commission and to report to the President their opinion thereon.

The Official Language Commission was appointed in the year 1955 and it submitted its report in the year 1956. A Committee of Parliament was constituted in the year 1957 to examine the recommendations of the Commission. After considering the recommendations of the committee, a comprehensive Presidential order, dated 27<sup>th</sup> April, 1960 was issued.

#### **Official Languages Act, 1963**

With a view to giving effect to the recommendation of the Official Language Commission and the Parliamentary Committee for the continued use of English empowered by article 343(3) of the Constitution of India, Parliament passed the Official Languages Act, 1963, which was subsequently amended in the year 1967. Some of the important provisions of the Amended Act are as follows:

(1) According to Section 3(1) of the Act, even after 26<sup>th</sup> January, 1965, the English Language may continue to be used in addition to Hindi, (a) for all official purposes of the Union for which it was being used immediately before that day and (b) for the transaction of business in Parliament.

(2) English shall be used for correspondence between Central Government and a State which has not adopted Hindi as its official language unless the latter has accepted the use of Hindi for this purpose.

### अध्याय-1 संघ की राजभाषा नीति

### सांविधानिक स्थिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 343 की धारा 2 में 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात् 26 जनवरी, 1965 तक, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था की गई थी । इसके अतिरिक्त संविधान में यह भी प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान किसी आदेश द्वारा अंग्रेजी के अतिरिक्त इस आदेश में विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं । संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार संसद को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी, 1965 के बाद भी विनिर्दिष्ट शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है । इस प्राधिकार का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया, जिसमें संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को 15 वर्ष की अवधि बीतने के बाद भी जारी रखने की व्यवस्था की गई है ।

संविधान के अनुच्छेद 344 में संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है जिसमें एक अध्यक्ष और संविधान की अष्टम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य होंगे।

आयोग द्वारा राष्ट्रपति जी को निम्नलिखित के विषय में सिफारिश प्रस्तुत करनी थी :-

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का प्रगामी प्रयोग,

 (ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन,
 (ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

(ड.) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए कोई अन्य विषय। आयोग अपनी सिफ़ारिशें करने में, भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा ।

अनुच्छेद 344 के अंतर्गत 30 संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की व्यवस्था की गई है । समिति में 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्य सभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे ।

समिति को आयोग की सिफ़ारिशों की जांच करने और राष्ट्रपति जी को उसके बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया था ।

सन् 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई और उसने अपना प्रतिवेदन वर्ष 1956 में प्रस्तुत किया । आयोग की सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति की स्थापना की गई । संसदीय समिति की सिफ़ारिशों पर विचार करने के बाद 27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति जी के विस्तृत आदेश जारी किए गए।

### राजभाषा अधिनियम,1963

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों से राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की सिफ़ारिश को कार्यरूप देने के लिए सन 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसे बाद में वर्ष 1967 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं-

(1) अधिनियम की धारा **3(1)** के अनुसार (क) संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजन के लिए जिनके लिए **26** जनवरी, **1965** के पूर्व अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए, **26** जनवरी, **1965** के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा ।

(2) केंद्र सरकार और हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा, जब तक कि उस राज्य ने हिंदी का प्रयोग करना स्वीकार न कर लिया हो। Similarly, Governments of Hindi-speaking States would correspond with such States in English and if any communication is sent in Hindi, it shall be accompanied by an English translation thereof. However, there would be no objection to any two States corresponding in Hindi, with mutual consent.

(3) Hindi in prescribed proportions will be used for communication between the Central Government Offices etc., but in region 'C' a translation in the English language shall be provided until staff in the offices concerned acquired a working knowledge of Hindi.

(4) According to Section 3(3) of the Act, the use of both Hindi and English is obligatory for the following documents:-

1. Resolutions 2.General Orders 3.Rules 4. Notifications 5. Administrative and other Reports 6. Press-Communiqués 7-8 Administrative & other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament 9. Contracts 10. Agreements 11.Licenses 12. Permits 13. Tender notices and 14. Forms of tender.

(5) According to Section 3(4), while framing rules under the Act, it shall be ensured that a Central Government employee who has proficiency in only one language- either Hindi or English can function effectively, and that he is not placed at a disadvantage on the ground that he does not have proficiency in both the languages.

(6) Section 3(5) of the Act provides that provisions relating to the use of English for the various purposes mentioned above shall remain in force until legislatures of all such States which have not adopted Hindi as their official language, have passed a resolution for the discontinuance of the use of English and until after considering these resolutions, a resolution to that effect is also passed by each House of Parliament.

(7) Section 4 of the Act provides for the Constitution of a Committee of Parliament on Official Language after 26<sup>th</sup> January, 1975. The Committee shall comprise thirty members, twenty from Lok Sabha and ten from Rajya Sabha. It shall be the duty of the committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report making recommendations to the President. This Committee was constituted in the year 1976 and is functioning at present. Presidential orders on the 9th part of the report of the committee have been issued on 31 March, 2017.

(8) According to Section 7 of the Act, the Governor of a State may, with the prior consent of the President, authorize the use of Hindi or the Official Language of the State, in addition to the English language, for the purposes of any judgement, decree or order passed or made by the High Court for the State. However, where any judgement, decree or order is passed or made in language other than the English language, it shall be accompanied by a translation of the same in the English language, issued under the authority of the High Court. So far the Governors of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar have obtained the President's consent and authorized the use of Hindi in the High Courts for these States.

#### **Official Language Resolution, 1968**

In December 1967, both the Houses of Parliament adopted a Resolution on the Official Language Policy of the Government which was notified on 18<sup>th</sup> January 1968. According to para 1 of the Resolution, the Central Government is required to prepare and implement a more intensive and comprehensive programme for accelerating the spread and development of Hindi as also to ensure its progressive use for the official purposes of the Union. The Central Government is also required to lay an Annual Assessment Report on the Table of both Houses of Parliament giving details of measures taken and the progress achieved in this regard. Necessary action in this regard has been taken continuously and presently 54<sup>th</sup> report is being presented in the series.

#### **Official Languages Rules, 1976**

In exercise of the powers conferred under section 8, read with section 3(4) of the Official Languages Act, 1963, the Official Languages (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976 were framed in the year 1976 by the Central Government. The framing of these Rules is a very important step towards the progressive use of Hindi for the official purposes of the Union. Some important provisions of these rules are as follows:-

(a) Communication from a Central Government office to a State located in region 'A' (viz. The States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, Jharkhand and the Union Territories of Delhi and Andaman & Nicobar Islands) or to any office (other than a Central Government office) or a person residing therein shall be in Hindi. If in any exceptional case, any communication is sent in English, it shall be accompanied by the Hindi translation thereof.

इसी प्रकार हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें भी ऐसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करेंगी और यदि वे ऐसे राज्यों को कोई पत्र हिंदी में भेजती हैं तो साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजेंगी। पारस्परिक सहमति से यदि कोई दो राज्य आपसी पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र-व्यवहार के लिए निर्धारित अनुपात में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा लेकिन 'ग' क्षेत्र में पत्रादि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद तब तक उपलब्ध कराया जाता रहेगा जब तक संबंधित कार्यालयों के कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें।

(4) अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है:-

 संकल्पों 2. सामान्य आदेशों 3. नियमों 4. अधिसूचनाओं 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टीं 6. प्रेस विज्ञप्तियों 7-8 संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टीं तथा सरकारी कागजातों 9. संविदाओं 10. करारों 11. अनुज्ञप्तियों 12. अनुज्ञा पत्रों 13. निविदा सूचनाओं और 14. निविदा प्रपत्रों

(5) धारा 3 (4) के अनुसार, अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण होने पर भी अपना सरकारी कामकाज प्रभावी ढंग से कर सके और केवल इस आधार पर उसका कोई अहित न हो कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है।

(6) अधिनियम की धारा 3 (5) में यह प्रावधान किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए आवश्यक संकल्प पारित न कर लें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दे ।

(7) उक्त अधिनियम की धारा 4 में 26 जनवरी,1975 के बाद एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है । इस समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमें 20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से होंगे । समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करे और अपनी सिफ़ारिशों सहित अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे । समिति का वर्ष 1976 में गठन किया गया था और यह इस समय कार्यरत है । समिति की रिपोर्ट के 9वें खंड पर दिनांक 31.03.2017 को राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए । (8) अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए अथवा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा, हिंदी अथवा उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है । तथापि, यदि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में दिया गया या पारित किया जाता है तो उसके साथ-साथ संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी दिया जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के राज्यपालों ने राष्ट्रपति जी की सहमति ले ली है और अपने-अपने उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति दे दी है।

#### राजभाषा संकल्प, 1968

दिसम्बर, 1967 में संसद के दोनों सदनों ने सरकार की भाषा नीति के संबंध में एक संकल्प भी पारित किया जिसे 18 जनवरी, 1968 को अधिसूचित किया गया। संकल्प के पैरा 1 के अनुसार केंद्र सरकार हिंदी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करेगी । केंद्र सरकार इस संबंध में किए गए उपायों तथा उनमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करेगी । इस संबंध में निरंतर आवश्यक कार्रवाई की जाती रही है और इसी क्रम में 54वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

#### राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(4) के साथ पठित धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1976 में राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 बनाए गए । सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में इन नियमों का जारी किया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है । नियमों के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध इस प्रकार हैं:-

(क) केंद्र सरकार के कार्यालयों से "क" क्षेत्र में स्थित किसी राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ, झारखंड राज्य और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह) को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय (केंद्र सरकार के कार्यालय के अलावा) या वहां रहने वाले किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी विशेष मामले में, कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा। (b) Communications from a Central Government office to a State located in region 'B' (viz the States of Punjab, Gujarat and Maharashtra and the Union Territory of Chandigarh, and Dadra and Nagar Haveli) shall ordinarily be in Hindi. If any such communication is sent in English, it shall be accompanied by a Hindi translation, thereof. However, communication to any person residing in these States may be in Hindi or English. However, according to the targets fixed in the Annual Programme, communications are required to be sent in Hindi to the individuals in region 'B' also.

(c) Communications from a Central Government office to any person or office in a State located in region 'C' (viz., all States and Union Territories not covered in Regions 'A' & 'B') shall be in English. If any such communication is sent in Hindi, it will be accompanied by the English translation, thereof.

(d) Communications between one Ministry or Department of the Central Government and another may be in Hindi or in English. However, communication between a Ministry/Department of the Central Government and the Attached and Subordinate Offices located in Region 'A' shall be in Hindi in such proportion as the Government may prescribe from time to time.

(e) Communications received in Hindi shall compulsorily be replied in Hindi (under Rule 5 of Official Language Rules, 1976). Whenever any application, appeal or representation is received in Hindi or is signed in Hindi, reply thereto is also to be sent in Hindi under Rule 7 of Official Language Rules, 1976.

(f) Both Hindi & English shall be used for all documents, specified in Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 and it shall be the responsibility of the Officer signing such documents to ensure that these are issued both in Hindi and English under Rule 6 of the Official Language Rules, 1976.

(g) A Central Government employee may use either Hindi or English for noting on files without being required to furnish a translation thereof in the other language.

(h) All manuals, codes, rules, and other procedural literature relating to Central Government offices, shall be prepared and published both in Hindi and English in diglot form. All forms and headings of registers, name plates, stamps, notice-boards and other items of stationery etc., shall also be in Hindi and English under Rule 11 of Official Language Rules, 1976.

(i) Names of offices, where 80 percent or more of the staff possess working knowledge of Hindi shall be notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules 1976 in the Official Gazette. Further, in the offices so notified, staff who have attained proficiency in Hindi may by order be asked to use only Hindi for noting/drafting and such other purposes as specified in the order, under Rule 8(4) of the Official Languages Rules 1976.

(j) It shall be the responsibility of the Administrative Head of every office to ensure that the provisions of the Official Languages Act and the Rules are properly complied with and suitable and effective check-points for the purpose in their offices are devised under Rule 12 of Official Language Rules, 1076.

The Official Language Policy of the Union is based on the constitutional and statutory provisions mentioned above and its implementation is ensured by issuing orders/ instructions from time to time.

(ख) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य (जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तथा दादरा एवं नगर हवेली) को भेजे जाने वाले पत्र सामान्यत: हिंदी में भेजे जाएंगे । यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा, तथापि इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी में पत्र भेजे जा सकते हैं । तथापि, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 'ख' क्षेत्र में व्यक्तियों को भी पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं ।

(ग) केंद्र सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय को या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे । यदि ऐसा कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(घ) केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है । तथापि, केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाला पत्र-व्यवहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुपात में हिंदी में होगा।

(ड.) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा । राजभाषा नियम, **1976** के नियम 7 के अंतर्गत हिंदी में लिखे या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों, अपीलों या अभ्यावेदनों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा ।

(च) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी। (छ) केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी फाइलों में टिप्पण लिखने में हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे ।

(ज) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं, नियम और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे। सभी प्रपत्रों और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, मुहरें, सूचना पट्ट, स्टेशनरी आदि की अन्य मदें भी हिंदी और अंग्रेजी में होंगी।

(झ) जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उन्हें राजभाषा नियम,1976 के नियम 10(4) के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों से राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन आदेश जारी करके टिप्पण/मसौदा लेखन और आदेश में विर्निदिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है।

(ञ) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे और अपने कार्यालय में उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाए।

संघ की राजभाषा नीति उपर्युक्त सांविधानिक और सांविधिक प्रावधानों पर आधारित है और समय-समय पर आदेश/अनुदेश जारी करके राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है ।

### Chapter-2 <u>Part-A</u>

#### Ministries/Departments/Offices from where data regarding implementation of Official Language policy have been received for the year 2022-23

Code No.	Ministry/Department/Offices	Code No.	Ministry/Department/Offices
		21.	Ministry of Finance, Department of Expenditure
1.	Department of Space		
2.	Ministry of Coal	22.	Ministry of Finance, Department of Investment and Public
			Asset Management
3.	Ministry of Mines	23.	Ministry of Finance, Department of Revenue
4.	Ministry of Social Justice & Empowerment	24.	Ministry of Finance, Department of Economic Affairs
5.	Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,	25.	Ministry of Finance, Department of Financial Services
	Department of Personnel & Training		
6.	Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,		
	Department of Pension & Pensioners Welfare	26	Ministry of Health and Family Welfare
7.	Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions, Department	27	Ministry of AYUSH
	of Administrative Reforms & Public Grievances		
8.	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution,	28.	Ministry of Parliamentary Affairs
	Department of Food and Public Distribution		
9.	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution,	29.	Ministry of Information and Broadcasting
	Department of Consumer Affairs		
10.	Ministry of Home Affairs	30.	Cabinet Secretariat
11.	Ministry of Jal Shakti	31.	Ministry of Food Processing Industries
12.	Department of Atomic Energy	32.	Ministry of Heavy Industries
13.	Ministry of Environment, Forest and Climate change	33.	Department of Public Enterprises, M/o Finance
14.	Ministry of Education, Department of Higher Education	34.	Ministry of Steel
15.	Ministry of Earth Science	35.	Ministry of New and Renewable Energy
16.	NITI Aayog	36.	Ministry of Power
17.	Ministry of Railways (Railway Board)	37.	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, D/o
			Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare
18.	Ministry of External Affairs	38.	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
19.	Ministry of Law and Justice, Legislative Department		Department of Agricultural Research & Education
20.	Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs	40.	Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

4

### अध्याय-2

<u>भाग-क</u> मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जिनसे वर्ष 2022-23 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकडे प्राप्त हुए हैं ।

कोड 	मंत्रालय / विभाग / कार्यालय	कोड 	मंत्रालय / विभाग / कार्यालय
<u>सं.</u>		. सं.	
1.	अंतरिक्ष विभाग	21.	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
2.	कोयला मंत्रालय	22.	वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग
3.	खान मंत्रालय	23.	वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
4.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	24	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग
5.	कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	25	वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
6.	कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,	26.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
	पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग		
7.	कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,	27.	आयुष मंत्रालय
	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग		
8.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,	28.	संसदीय कार्य मंत्रालय
	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग		
9.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,	29.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
	उपभोक्ता मामले विभाग		
10.	गृह मंत्रालय	30.	मंत्रिमंडल सचिवालय
11.	जल शक्ति मंत्रालय	31.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
12.	परमाणु ऊर्जा विभाग	32.	भारी उद्योग मंत्रालय
13.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	33.	लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय
14.	शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग	34.	इस्पात मंत्रालय
15.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	35.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
16.	नीति आयोग	36.	विद्युत मंत्रालय
17.	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	37.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
			कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
18.	विदेश मंत्रालय	38.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग
19.	विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग		
20.	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग	40.	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

### Chapter-2 (contd.)

<u>Part-A</u>
Ministries/Departments/Offices from where data regarding implementation of
Official Language policy have been received for the year 2022-23

Code No.	Ministry/Department/Offices	Code No.	Ministry/Department/Offices
41.	Ministry of Statistics & Programme Implementation	61.	Ministry of Communication, Department of Posts
42.	Office of the Comptroller & Auditor General of India Department of Indian Accounts & Audit	62.	Ministry of Labour and Employment
43.	Ministry of Ports, Shipping and Waterways	63.	Union Public Service Commission
44.	Ministry of Road Transport and Highways	64.	Ministry of Rural Development, Department of Rural Development
45.	National Highway Authority of India	65.	Ministry of Rural Development, Department of Land Resources
46.	Ministry of Civil Aviation	66.	Ministry of Tourism
47.	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals and Petro Chemicals	67.	Ministry of Culture
48.	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Fertilizers	68.	Ministry of Tribal Affairs
49.	Department of Pharmaceuticals	69.	Election Commission of India
50.	Ministry of Defence, Department of Defence, Deptt. of Defence Research & Development and Ex-servicemen Welfare	70.	Ministry of Panchayati Raj
51.	Deptt. of Defence Production (Secretariat)	71.	Ministry of Youth Affairs and Sports
52.	Ministry of Commerce and Industry, D/o Commerce	72.	Ministry of North-Eastern Region Development
53.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade	73.	Ministry of Minority Affairs
54.	Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology	74.	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
55.	Ministry of Science and Technology, Department of Bio-	75.	Ministry of Petroleum and Natural Gas
	Technology	76.	Ministry of Corporate Affairs
57.	Ministry of Textile	77.	Ministry of Women and Child Development
58.	Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation	78.	Department of Drinking Water and Sanitation
59.	Ministry of Communication, Department of Telecommunication,	79.	Department of Empowerment of Persons with Disabilities
60.	Ministry of Electronics and Information Technology	80.	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

5

### अध्याय-2

### भाग-क (जारी....)

### मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जिनसे वर्ष 2022-23 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े प्राप्त हुए हैं ।

कोड सं.	मंत्रालय / विभाग / कार्यालय	कोड सं.	मंत्रालय / विभाग / कार्यालय
41.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	61.	संचार मंत्रालय, डाक विभाग
42.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय,	62.	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
	भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग		
43.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	63.	संघ लोक सेवा आयोग
44.	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	64.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग
45.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	65.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग
46.	नागर विमानन मंत्रालय	66.	पर्यटन मंत्रालय
47.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	67.	संस्कृति मंत्रालय
48.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग	68.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
49.	औषध विभाग	69.	भारत निर्वाचन आयोग
50.	रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और	70.	पंचायती राज मंत्रालय
	भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग		
51.	रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग (सचिवालय)	71.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
52.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	72.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
53.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	73.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
54.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	74.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
55.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बायोटैक्नोलॉजी विभाग	75.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
		76.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
57.	वस्त्र मंत्रालय	77.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
58.	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	78.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
59.	संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	79.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
60.	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	80.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

	वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों और उनके कार्यालयों Data regarding Implementation of the Official Language Policy From various											
कोड सं./क्षेत्र	मंत्रालय / विभाग और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालर्यों के नाम	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात			Official Language पत्राचार			मूल (तार/टेलेक्स	पत्राचार ।/फैक्स सहित)			
		कुल संख्या	केवल अंग्रेजी में	हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में दिए गए उत्तर	अंग्रेजी में दिए गए उत्तर	हिंदी में जारी किए गए पत्र	अंग्रेजी में जारी किए गए पत्र	द्विभाषी जारी किए गए पत्र			
Code No/ Region	Names of Ministries/Departments and their attached / subordinate Offices	Papers issued u/s 3 Official Lang Act		Correspondence in Hindi			Original	Correspondenc Felegram/Telex/F	-			
		Total No.		Total no. of letters received in Hindi	Letters replied to in Hindi	Letters replied to in English	Letters issued in Hindi	Letters issued in English	Letters issued bilingually			
		(ক)	(ख)	(ক)	(ख)	(ग)	(ক)	(ख)	(ग)			
		(a)	(b)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	(क) अंतरिक्ष विभाग सचिवालय (सचिवालय) (A) Deptt. of Space (Secretariat)	6792	0	1785	1143	0	7421	6231	11006			
1.1	(ख) अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र, अहमदाबाद (B) Space Application Centre, Ahmadabad	7277	0	1253	591	0	17985	1555	0			
1.2	(ग) अंतरिक्ष विभाग के केंद्र (C) Centre of Deptt. Of Space	88043	0	3867	1894	0	8637	31244	80237			
2	(क) कोयला मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Coal (H.Q)	124	0	1472	1189	0	4452	1895	0			
2.1	(क) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Coal	47461	0	147816	99490	0	290664	30474	710			
2.2	(ख) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Coal	31464	0	158833	64540	0	147384	8098	0			
2.3	(ग) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Coal	25767	0	9889	7209	0	67527	36845	2671			

						वयन संबंधी अ	•	_				
टंकक/	Ministries /Departments  आয়ুলিपিক			and their Offices during the year 2022-23 इलेक्ट्रॉनिक/ यांत्रिक उपकरण आदि			<u>3</u> कोड	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें				
कुल सं.	जो हिंदी टंकण/ आशुलिपि जानते हैं	जो अंग्रेजी टंकण/ आशुलिपि जानते हैं	जो दोनों जानते हैं	हिंदी कार्य का प्रतिशत	कुल संख्या	देवनागरी	द्विभाषी	कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	केवल हिंदी में	
	Typist/ Stenographers				Ме	chanical/ Elect equipments e		Code/ N	lanuals/ For	ms/Publicati	ons etc	Meetings of OLIC
Total No.	Hindi typing/ Steno- graphy knowing	English typing/ Steno- graphy knowing	Knowing both	Percentage of Hindi work	Total No.	Devnagari	Bilingual	Total No.	Bilingual	Only in English	Only in Hindi	
(ক)	(ख)	(ग)	(ঘ)	(ड़)	(ক)	(ख)	(ग)	(क)	(ख)	(ग)	(ঘ)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c )	(d)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
141	31	31	141	22	908	908	908	161	159	0	2	4
197	196	196	197	99	1401	1401	1401	378	372	0	6	12
1106	922	922	1106	83	9521	9521	9521	1463	1437	0	26	52
11	11	11	11	63	133	133	133	0	0	0	0	4
647	354	293	293	54	6887	6887	6887	1003	848	43	113	28
1850	1793	1793	57	97	2875	2875	551	156	29	68	59	4
1873	1134	1134	739	60	10145	10145	10145	361	303	51	7	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	(क) खान मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Mines (HQ)	1033	0	1587	1087	0	5090	2359	4196
3.1	(क) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Office under Ministry of Mines	7365	0	35652	17155	0	46828	4111	2102
3.2	(ख) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Office under Ministry of Mines	7748	0	26133	13027	0	45748	14046	27244
3.3	<ul> <li>(ग) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Office under Ministry of Mines</li> </ul>	31179	0	15880	7770	0	39653	44757	37745
4	(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (A) Ministry of Social Justice & Empowerment	3781	0	5558	4678	0	16331	5085	16331
5	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (मुख्या.) (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances and Pension, Deptt. of Personnel & Training.	4565	0	5047	3623	0	31469	16618	31469
5.1	(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय (A) Office of Deptt of Personnel and Training	4955	0	11420	8561	0	30189	14093	30189
6	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (मुख्या.) (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances and Pensions, Deptt of Pension and Pensioners Welfare (HQ)	1438	0	1365	1311	0	16624	224	16624
7	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions Deptt. of Administrative Reforms & Public Grievances	2310	0	1839	1560	0	35853	4804	0
8	<ul> <li>(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग(मुख्या.)</li> <li>(A) Ministy of Consumer Affairs, Food &amp; Public, Distribution, Deptt. Of Food &amp; Public Distribution (HQ)</li> </ul>	3212	0	4770	3987	0	20841	4501	0
8.1	(क) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (A) Offices under D/o Food & Public Distribution	2382	0	17297	13152	0	63040	6896	1550
8.2	(ख) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (B) Offices under D/o Food & Public Distribution	195	0	94	29	0	387	180	35
8.3	(ग) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (C) Offices under D/o Food & Public Distribution	562	0	152	55	0	566	645	964
9	(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग (मु.) (A) Ministy of consumer Affairs, Food & Public Distribution, Deptt. of Consumer Affairs(H.Q)	5097	0	2007	1806	0	12096	4023	12096
9.1	(क) उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्योलय (A) Offices under Deptt. Of Consumer Affairs	1111	122	4052	3026	443	53337	7973	53302

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14	50	50	7	50	208	208	208	20	20	0	0	4
135	90	90	45	90	1901	1893	1893	625	625	0	0	94
160	87	87	61	87	1250	1219	1219	315	315	0	0	45
236	72	72	78	72	6244	6215	6215	311	311	0	0	142
71	43	28	43	60	321	0	321	22	15	7	0	37
56	46	46	10	82	745	745	745	92	91	0	1	4
125	70	70	75	56	1037	1037	1037	296	294	1	1	16
3	100	100	0	100	85	85	85	47	47	0	0	4
4	4	4	4	100	132	132	132	3	1	2	0	1
136	122	122	0	0	533	533	533	23	23	0	0	4
0	0	0	0	0	1293	1293	1293	136	101	17	20	29
0	0	0	0	0	4	3	2	1	1	0	0	1
2	0	2	0	0	14	12	8	12	12	0	0	5
9	100	100	0	100	210	210	210	19	19	0	0	3
290	100	100	0	100	696	696	679	394	309	95	9	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.3	(ग) उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. Of Consumer Affairs	108	0	159	79	0	1593	1242	1593
10	(क) गृह मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Home Affairs (H.Q)	43748	0	22493	20181	0	41919	27686	69614
10.1	(क) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Home Affairs	253406	109268	2968778	2274966	1223	4370761	1096222	65092
10.2	(खं) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Home Affairs	80949	2767	640721	478411	16	772451	180291	19890
10.3	<ul> <li>(ग) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under Ministry of Home Affairs</li> </ul>	325109	20622	2014336	1407612	151	14288511	1802137	90798
11	(क) जल शक्ति मंत्रालय (मु.) (A) M/o Jal Shakti (HQ)	1431	0	3868	2952	0	16101	12028	5533
11.1	(क) जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Jal Shakti	8405	0	30539	19366	0	118699	10977	22826
11.2	(ख) जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Jal Shakti	9845	0	3243	950	0	3216	2761	2394
11.3	<ul> <li>(ग) जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under M/o Jal Shakti</li> </ul>	3131	0	681	240	0	869	6994	5572
12	(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (मु.) (B) Deptt. of Atomic Energy (Ha.)	1430	0	3612	957	0	35994	8604	0
12.1	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट//उपक्रम/संस्थान (A) Units/Undertakings/Institutions of D/o Atomic Energy	34499	0	68161	54631	2883	63786	1677	16551
12.2	(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम /संस्थान (B) Units/Undertakings/ Institutions of Deptt. of Atomic Energy	86202	0	36949	17507	0	333207	99020	184789
12.3	(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम /संस्थान (C) Units/Undertakings/ Institutions of Deptt. of Atomic Energy	42110	0	14201	7051	0	42280	57285	88955
13	(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (मुख्यालय) (A) Ministry of Environment, Forest and Climate Change (HO)	9463	0	7998	5266	0	52418	27802	0
13.1	(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Environment, Forest and Climate Change	10802	0	22446	12382	0	55281	14374	4926
13.2	(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Environment, Forest and Climate Change	38	0	582	522	0	4675	1595	20
13.3	(ग ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Environment, Forest and Climate Change	5039	0	358	266	0	1492	15103	5721
14	(क) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (A) D/o Higher Education, M/o Education	2095	0	3847	2717	0	1431	1758	1431

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27	100	100	0	100	53	53	53	31	21	9	1	4
212	35	35	138	35	2470	2470	2470	155	155	0	0	4
7892	99	99	1450	99	27545	26562	26562	26056	6357	10890	8745	1262
2050	91	91	395	91	4736	4736	15688	7735	1652	1455	4606	293
5842	83	83	1296	83	18105	17745	17814	25892	2933	16023	6936	1184
77	84	84	68	84	333	249	173	28	27	0	0	7
214	74	74	148	74	2195	2160	2096	3520	3509	228	3	40
34	82	82	34	82	450	450	0	56	55	0	1	4
19	32	32	19	32	241	196	194	17730	71	17640	17	2
39	79	79	39	79	543	543	543	72	72	0	0	4
452	85	85	452	85	5536	5536	5536	730	698	31	1	44
908	842	842	908	93	19664	19664	19664	2002	1837	153	10	72
723	409	409	723	57	11641	11641	11641	2073	2014	54	5	110
160	61	61	63	61	850	690	690	82	82	0	0	4
230	64	64	199	64	1793	1785	1775	403	403	0	0	59
5	60	60	5	60	51	51	51	12	12	0	0	8
41	17	17	32	41	419	299	293	227	227	0	0	8
72	54	54	30	54	1124	1124	1124	43	43	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.1	(क) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Higher Education, M/o Education	6757	0	11571	7532	0	6925	8434	0
14.2	(ख) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Higher Education, M/o Education	5729	0	6951	4535	0	3155	6211	0
14.3	<ul> <li>(ग) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under Deptt. of Higher Education, M/o Education</li> </ul>	3851	0	4531	2902	0	1899	3952	0
15	(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (A) Ministry of Earth Science	3209	0	2757	1464	0	8897	1112	8897
	(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Earth Science	2987	0	6629	0	4876	11957	3165	11957
	(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Earth Science	1034	0	239	78	0	484	452	1031
15.3	<ul> <li>(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under Ministry of Earth Science</li> </ul>	1803	0	224	158	0	216617	168012	216617
16	(क) नीति आयोग (A) NITI AYOG	5216	0	3538	2997	0	11402	3898	11402
16.1	(क) नीति आयोग के अधीन कार्यालय (A) Offices under NITI AYOG	463	0	101	56	0	300	1269	594
17	(क) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (A) Ministry of Railways (Railway Board) (क) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय	5286	0	52152	28272	0	80634	8204	0
17.1	(A) Offices under M/o Railways	242980	0	810115	662142	0	872438	12935	0
17.2	(र्ख) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Railways	36808	0	53882	46550	0	178737	11258	0
17.3	(ग) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Railways	141937	0	57400	38630	0	117051	54449	0
18	(क) विदेश मंत्रालय (A) Ministry of External Affairs	19367	0	6371	4097	0	35423	33495	0
18.1	(क) विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of External Affairs	3169	0	13412	8076	0	17329	4048	1066
18.2	(ख) विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of External Affairs	2675	0	1802	921	10	8090	2177	6190
18.3	<ul> <li>(ग) विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under Ministry of External Affairs</li> </ul>	3108	0	613	358	0	6690	10845	10333
19	(क) विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय (A) Legislative Department, M/o Law & Justice	5187	0	3702	2615	0	6544	672	7216
20	(क) विधि कार्य विभाग (मु0), विधि और न्याय मंत्रालय (A) Department of Legal Affairs (HQ), M/o Law & Justice	4554	0	1632	1193	0	5848	4978	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3222	1972	1972	2207	61	7931	7931	7931	748	532	124	102	279
241	54	54	128	54	3721	3721	3721	28	19	62	51	221
190	56	56	115	56	2515	2515	2515	329	272	32	25	279
37	100	100	37	100	195	195	195	24	24	0	0	4
155	100	100	0	100	857	857	857	89	89	0	0	12
22	91	91	22	91	826	826	826	114	114	0	0	4
28	68	68	9	68	1372	1224	1224	257	256	0	1	20
84	74	74	22	74	761	761	761	12	12	0	0	4
22	36	36	15	36	184	184	179	121	119	1	1	0
142	73	73	38	73	2627	2627	2627	738	736	0	2	4
6651	99	99	42	99	23826	23826	23826	150141	39148	202	110791	1555
1208	96	96	51	96	9513	9513	9513	46213	33519	1699	10995	541
4530	67	67	1513	67	35897	35897	35897	89449	64217	10157	15075	1524
468	93	93	35	93	4600	4600	4600	43	43	0	0	3
272	90	90	26	90	439	398	398	467	467	0	0	48
202	52	52	96	52	236	111	111	89	89	0	0	32
291	67	67	96	67	487	470	470	154	154	0	0	47
40	32	32	40	80	155	155	155	22	22	0	0	4
53	20	20	33	100	270	270	270	99	99	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(क) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Department of Legal Affairs	58	0	8727	2946	0	18067	985	607
20.2	(ख) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Department of Legal Affairs	8128	0	6641	2782	0	47643	5742	4338
20.3	(ग) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Department of Legal Affairs	366	0	1196	370	0	22801	5261	843
21	(क) व्यय विभाग (मु0), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Expenditure (HQ), Ministry of	6226	0	7108	5357	0	15321	12641	8425
21.1	(क) व्यय विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Expenditure	9641	0	6876	4125	0	62315	41321	2112
22	<ul> <li>(क) निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय</li> <li>(A) D/o of Investment and Public Asset Mgmt. M/o Finance</li> </ul>	924	0	241	181	60	767	217	767
	(क) राजस्व विभाग (मु0), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Revenue) (HQ), Ministry of Finance	7177	0	4377	2921	0	31967	13122	0
23.1	(क) राजस्व विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Revenue	29967	0	489831	375651	0	45910309	398398	22951
24	(क) आर्थिक कार्य विभाग (मु0), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Economic Affairs (HQ), Ministry of Finance	4900	0	1873	1523	241	6423	4571	6423
	(क) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Economic Affairs	2171	0	10019	6314	0	18734	1587	4
24.2	(জ) आর্থিক কার্য বিभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Economic Affairs	2555	0	32616	5254	0	22934	50096	71194
24.3	<ul> <li>(ग) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under Deptt. of Economic Affairs</li> </ul>	1239	0	325	114	0	5972	2725	5972
25	(क) वित्तीय सेवाएं विभाग (मु0), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Financial Services (HQ), Ministry of Finance	5838	0	16016	14229	0	48685	3454	0
25.1	(ख) भारतीय स्टेट बैंक (मुख्यालय) (B) State Bank of India(HQ)	4147	0	5934	5418	0	86418	4647	0
25.1.1	(क) भारतीय स्टेट बैंक (A) State Bank of India	61011	0	1090884	665911	0	1625875	106145	0
25.1.2	(ख) भारतीय स्टेट बैंक (B) State Bank of India	12090	0	237887	160303	0	655508	171295	0
25.1.3	(ग) भारतीय स्टेट बैंक (C) State Bank of India	17529	0	117308	84946	0	573262	387860	0
25.2	(क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) EXIM Bank (HQ)	306	0	3259	2830	0	8348	2380	9885
	(क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (A) EXIM Bank	50	0	201	201	0	425	0	461
	(ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (B) EXIM Bank	457	0	3837	3316	0	9569	2586	11232
	(ग) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (C) EXIM Bank	222	0	954	722	0	1409	1206	1434
25.3	<ul> <li>(ग) यूको बैंक (प्रधान कार्यालय)</li> <li>(C) UCO Bank (HQ)</li> </ul>	2153	0	16688	15372	0	71204	5259	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
98	69	69	96	75	253	253	253	193	172	1	20	4
118	90	90	117	84	344	344	344	167	143	2	22	4
69	29	29	68	59	245	219	219	393	323	34	12	9
94	35	35	61	35	267	226	226	51	48	3	0	4
15	40	40	9	40	675	671	671	22	19	3	0	0
8	4	4	4	50	105	105	105	31	31	0	0	4
152	45	45	83	45	1313	1313	1313	52	52	0	0	1
1999	75	75	555	75	33077	32101	32235	8538	592	5958	1988	2409
26	16	16	9	62	735	735	735	59	59	0	0	2
58	58	58	0	100	823	823	823	188	188	0	0	20
99	99	99	0	100	2791	2791	2791	730	698	20	12	30
25	25	25	0	100	378	378	378	154	152	0	2	12
10	10	10	4	10	508	508	508	49	49	0	0	4
33	100	100	33	100	2580	2580	2580	62	62	0	0	4
58	100	100	58	100	70892	70892	70892	224	224	0	0	30472
22	100	100	22	100	54567	54567	54567	224	224	0	0	24372
37	100	100	37	100	86457	86457	86457	224	224	0	0	31278
0	0	0	0	0	232	232	232	112	112	0	0	4
0	0	0	0	0	51	51	51	112	112	0	0	4
0	0	0	0	0	250	250	250	112	112	0	0	16
0	0	0	0	0	24	24	24	112	112	0	0	20
0	0	0	0	0	779	779	779	114	110	1	3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.3.1	(क) यूको बैंक (A) UCO Bank	2963	0	39711	39711	0	132901	4731	0
25.3.2	(ख) यूको बैंक (B) UCO Bank	422	0	9010	9010	0	38387	8626	0
25.3.3	(ग) यूको बैंक (C) UCO Bank	1010	0	4008	4008	0	52959	24520	0
25.4	(ख) बैंक ऑफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) (B) _Bank of India (HQ)	486	0	38623	31264	0	345846	26249	151775
25.4.1	(क) बैंक ऑफ इंडिया (A) Bank of India	23034	0	417879	378198	0	625556	43914	399945
25.4.2	(ख) बैंक ऑफ इंडिया (B) Bank of India	36287	0	404842	309930	0	837301	108110	558200
25.4.3	(ग) बैंक ऑफ इंडिया (C) Bank of India	18245	0	46622	33166	0	183959	202316	122640
25.5	(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) SIDBI (HQ)	215	0	550	485	0	796	59	2392
25.5.1	(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (A) SIDBI	675	0	638	445	0	5063	1246	15192
25.5.2	(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (B) SIDBI	1606	0	4168	3863	0	13435	3260	40307
25.5.3	(ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (C) SIDBI	458	0	3577	2004	0	8637	10083	25914
25.6	(ख) बैंक आफ महाराष्ट्र (मुख्या.) (B) Bank of Maharashtra(HQ)	8893	0	6082	5086	0	80534	2725	0
25.6.1	(क) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (A) Bank of Maharashtra	18298	0	51413	36938	0	117524	10906	0
25.6.2	(ख) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (B) Bank of Maharashtra	48521	0	94236	58520	0	518685	34045	0
	(ग)) बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7850	0	9638	5943	0	37294	23292	0
	(C) Bank of Maharashtra (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (मुख्या.) (A) NABARD (HO)	1789	0	7792	3561	0	0	6725	105502
25.7.1	<ul> <li>(A) NÂBARD (HQ)</li> <li>(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक</li> <li>(A) NABARD</li> </ul>	990	0	18674	8191	0	0	5028	75642
25.7.2	(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (B) NABARD	278	0	4267	2101	0	0	517	13041
25.7.3	(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (C) NABARD	922	0	5643	3403	0	0	8424	24192
25.8	(क) पंजाब नेशनल बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) Punjab National Bank((HQ)	4173	0	555497	522575	0	3092121	50246	0
25.8.1	(A) Punjab National Bank (A) Punjab National Bank	80218	0	1465019	1206759	0	4016581	33652	0
25.8.2	(ম) দ্যাৱচ National Bank (ম) দ্যাৱ নিয়ানল ৰীক (B) Punjab National Bank	10796	0	197006	140110	0	1215586	42801	0
25.8.3	(ग) पंजाब नेशनल बैंक (र) Punjab National Bank	21573	0	167253	106142	0	736669	258618	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	9850	9850	9850	112	109	0	3	5848
0	0	0	0	0	4860	4860	4860	109	106	0	3	2312
0	0	0	0	0	8160	8160	8160	109	106	0	3	4680
79	79	79	0	100	1376	1376	1376	1656	1655	0	1	4
7452	7452	7452	7452	100	19426	19426	19426	2004	2004	0	12	120
5758	5758	5758	5758	100	16401	16401	16401	1841	1840	0	1	80
5292	5292	5292	5292	100	13935	13935	13935	1076	1076	0	0	84
12	100	100	12	100	108	108	108	33	32	0	1	4
4	100	100	4	100	276	276	276	33	32	0	1	112
8	100	100	8	100	400	400	400	33	32	0	1	104
5	100	100	5	100	230	230	230	10	10	0	1	252
9	9	9	0	100	339	339	339	788	788	0	0	164
793	793	793	0	100	2106	2106	2106	788	788	0	0	1803
2987	2987	2987	0	100	7339	7339	7339	788	788	0	0	5067
399	399	399	0	100	1152	1152	1152	788	788	0	0	1288
33	100	100	33	100	1044	1044	1044	98	72	26	0	4
18	94	94	18	94	1394	1394	1394	226	124	11	91	4
16	16	16	16	100	461	461	461	51	48	3	0	4
29	66	66	29	66	1332	1332	1332	241	237	4	0	4
31	31	31	0	100	3303	3303	3303	2005	2005	0	0	4
16214	16214	16214	0	100	44790	44790	44790	2015	2015	0	0	348
5765	5765	5765	0	100	14868	14868	14868	2007	2007	0	0	112
7661	6817	6817	844	89	21455	21455	21455	2009	2009	0	0	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(क) पंजाब एंड सिंध बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) Punjab & Sind Bank (HQ)	1377	0	23698	20350	0	155561	5041	0
25.9.1	(क) पंजाब एंड सिंध बैंक (A) Punjab & Sind Bank	11812	0	117407	103865	0	408123	15740	0
	(ন্তু) पंजाब एंड सिंध बैंक (B) Punjab & Sind Bank	5051	0	48908	44387	0	270652	19293	0
	(ग) पंजाब एंड सिंध बैंक (C) Punjab & Sind Bank	1193	0	3808	2851	0	23953	13569	0
25.10.	(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (प्रधान कार्यालय) (B) IDBI (HQ)	2750	0	1125	749	0	11301	725	3375
25.10.1	(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (A) IDBI	31665	0	56655	38201	0	81499	10668	69424
	(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (B) IDBI	10261	0	10542	7334	0	28976	6106	23709
25.10.3	<ul> <li>(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक</li> <li>(C) IDBI</li> </ul>	7179	0	5116	3049	0	113484	71058	75657
25.11	(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय) (B) Bank of Baroda (HQ)	4782	0	623875	580613	0	29223555	1388914	384910
25.11.1	(क) बैंक ऑफ बड़ोदा (A) Bank of Baroda	102183	0	3567892	3532927	0	11589672	60214	78654
25.11.2	(অ) ৰিঁক আঁফ ৰড়ীবা (B) Bank of Baroda	87195	0	2745896	2691197	0	10968752	136587	235897
25.11.3	(গ) ৰক আঁফ ৰঙ়ীৱা (C) Bank of Baroda	19879	0	538961	512284	0	5515891	625987	2864123
	(क) यूनियन बैंक आफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) (A) Union Bank of India (HQ)	2321	0	13474	5669	0	73659	3913	0
25.12.1	(A) Union Bank of India (A) Union Bank of India	33888	0	586671	239635	0	918255	25317	0
25.12.2	(ম) তালা সন্মার্থ সামার্ম (ন্তা) যুনিযন র্ত্তক আफ इंडिया (B) Union Bank of India	19484	0	159103	67593	0	315560	35368	0
	<ul> <li>(ग) यूनियन बैंक आफ इंडिया</li> <li>(C) Union Bank of India</li> </ul>	23851	0	192243	53009	0	724739	407164	0
25.13	<ul> <li>(ग) इंडियन बैंक (मुख्यालय)</li> <li>(C) Indian Bank (HQ)</li> </ul>	968	0	3453	3453	0	19114	34293	136213
25.13.1	(क) इंडियन बैंक (A) Indian Bank	1738	0	71284	71284	0	185805	18141	4428
25.13.2	(ख) इंडियन बैंक (B) Indian Bank	705	0	12123	12123	0	46870	6312	11816
25.13.3	(ग) इंडियन बैंक (C) Indian Bank	3121	0	6125	6125	0	167206	92821	18215
	(क) राष्ट्रीय आवास बैंक (मुख्यालय) (A) National Housing Bank	151	0	626	314	0	0	73	6098
25.14.1	<ul> <li>(A) National Housing Bank</li> <li>(b) राष्ट्रीय आवास बैंक</li> <li>(A) National Housing Bank (HQ)</li> </ul>	1	0	67	0	0	0	0	55
25.14.2	(स) National Housing Bank (HQ) (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (B) National Housing Bank	0	0	111	52	0	0	38	827

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	684	684	684	131	123	0	8	98
0	0	0	0	0	4033	4033	4033	55	37	0	18	2488
0	0	0	0	0	3765	3765	3765	49	37	0	12	2896
0	0	0	0	0	1036	1036	1036	39	37	0	2	528
49	100	100	49	100	1490	1490	1490	120	119	0	1	4
50	100	100	50	100	5640	5640	5640	135	123	0	12	2680
211	100	100	211	100	6342	6342	6342	138	125	0	13	2608
76	100	100	76	100	5110	5110	5110	135	123	0	12	2440
132	132	132	132	100	2683	2683	2683	326	326	0	0	4
9990	9990	9990	9990	100	29423	29423	29423	356	356	0	0	268
9056	9056	9056	9056	100	24918	24918	24918	356	356	0	0	176
6511	6511	6511	6511	100	18365	18365	18365	356	356	0	0	176
89	89	89	0	100	3129	3129	3129	313	287	0	26	4
37	37	37	0	100	21908	21908	21908	452	326	0	126	192
70	70	70	0	100	12447	12447	12447	406	326	0	80	120
157	157	157	0	100	32811	32811	32811	615	418	0	197	296
37	37	37	0	100714	714	714	714	296	273	9	14	4
0	0	0	0	0	14858	14858	14858	277	249	0	28	140
0	0	0	0	0	5568	5568	5568	248	238	0	10	48
0	0	0	0	0	19004	19004	19004	307	265	16	26	206
0	0	0	0	0	422	422	422	153	152	0	1	4
0	0	0	0	0	7	7	7	150	150	0	0	8
0	0	0	0	0	34	34	34	150	150	0	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.14.3	(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक (C) National Housing Bank	0	0	91	2	0	0	9	96
25.15	(क) दि ओरियंटल ईश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रधान कार्यालय) (A) The Oriental Insurance Co. Ltd (Hq.)	1278	0	27388	26584	0	76853	7341	15
25.15.1	(क) दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (A) The Oriental Insurance Co. Ltd	73	0	3902	3836	0	17788	871	15
	(ख) दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (B) The Oriental Insurance Co. Ltd	1805	0	7332	7332	0	51385	8291	0
25.15.3	(ग) दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (C) The Oriental Insurance Co. Ltd	195	0	1393	1393	0	8811	6515	154
25.16	(ग) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मुख्यालय) (C) United India Insurance Co. Ltd. (HQ)	43	0	120	103	0	0	1421	1838
25.16.1	(क) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (A) United India Insurance Co. Ltd.	2863	0	5566	3918	0	28059	0	3205
25.16.2	(ख) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (B) United India Insurance Co. Ltd.	93	0	889	599	0	14525	2005	5819
25.16.3	(ग) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (C) United India Insurance Co. Ltd.	2285	0	721	342	0	0	7088	15753
25.17	(क) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (प्रधान कार्यालय) (A) Agriculture Insurance Co. of India Ltd. (HQ)	158	0	356	35	0	488	29	0
25.17.1	(क) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (A) Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	46	0	3578	2645	0	805582	4408	0
25.17.2	(ख) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (B) Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	0	0	1563	115	0	72053	1203	0
25.17.3	(ग) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (C) Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	63	0	108	41	0	22	0	0
	(क) इंडियन ओवरसीज़ बैंक(मु॰) /IOB (Hqt.)	3688	0	816	758	0	758	6469	45733
	(क) इंडियन ओवरसीज़ बैंक /IOB	4976	0	41878	39476	0	204232	12254	191978
25.20.2	(ख) इंडियन ओवरसीज़ बैंक /IOB	1501	0	21267	20121	0	114893	103403	11490

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	21	21	21	150	150	0	0	20
1227	78	1149	1151	94	3696	0	3696	105	93	0	12	914
55	55	54	54	94	412	0	412	84	80	0	4	4
704	26	678	704	86	2221	0	2221	84	80	0	4	787
523	54	469	54	53	1481	0	1481	84	80	0	4	642
1	1	1	1	100	780	647	647	48	43	0	5	4
1	1	1	1	100	2604	2604	2604	47	43	0	4	4
3	2	2	1	66	2711	2711	2711	46	43	0	3	4
3	1	1	2	33	3291	3291	3291	49	43	0	6	4
0	0	0	0	0	103	103	103	6	5	0	1	4
0	0	0	0	0	73	73	73	5	5	0	0	32
0	0	0	0	0	20	20	20	5	5	0	0	8
22	0	0	0	0	69	69	69	5	5	0	0	32
28	75	75	0	75	791	791	791	475	469	0	6	4
49	100	100	0	100	8001	8001	8001	533	469	0	64	64
11	100	100	0	100	3489	3489	3489	497	469	0	28	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3391	0	3120	2849	0	587963	235186	352777
25.21	भारतीय रिजर्व बैंक (मुख्यालय) Reserve Bank of India(HQ)	5476	0	6321	1988	0	6378	1240	31954
25.22	केनरा बैंक (मुख्यालय)	6573	0	19664	19664	0	62064	19406	26599
25.22.1		421452	0	742135	742135	0	738255	201611	246085
25.22.2	(A) Canara Bank (ख) केनरा बैंक			_					
25 22 3	(B) Canara Bank (ग) केनरा बैंक	67650	0	89337	89337	0	153090	61423	59535
	(C) Canara Bank	507595	0	398465	398465	0	128436	65984	36524
	(क) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मुख्यालय) (A) Central Bank of India (HQ)	1927	0	35058	19489	0	601408	45004	673577
25.23.1	(क) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (A) Central Bank of India	22241	0	2369582	1650832	0	4997907	113727	5597721
25.23.2	(ख) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (B) Central Bank of India	7246	0	305271	194812	0	1702997	130780	1907362
25.23.3	(ग) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (C) Central Bank of India	3989	0	240444	174709	0	786955	321724	881590
26	(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Health & Family Welfare (HQ)	4205	0	9293	0	0	75157	10747	0
27	(क) आयुष मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of AYUSH (HQ)	1414	0	3349	2568	0	7028	4541	7028
27.1	(क) आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of AYUSH	13288	6937	23471	17181	224	50620	37959	50620
27.2	(ख) आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of AYUSH	442	64	760	358	38	411	583	994
27.3	(ग) आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of AYUSH	2542	1121	274	68	7	1639	3600	4698
28	(क) संसदीय कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Parliamentary Affairs	477	0	4347	2773	0	999	16	1059
29	(क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Information & Broadcasting (HQ)	4726	0	5213	3622	0	10287	9783	0
29.1	(क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	107262	0	123736	108441	0	332817	56218	30079
29.2	(ख) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	43050	0	57543	44898	0	69267	14111	6618

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
26	100	100	0	100	8781	8781	8781	533	469	0	64	104
502	477	477	477	95	6407	6407	6407	227	212	0	15	4
0	0	0	0	0	3391	3391	3391	2028	2024	0	4	4
0	0	0	0	0	20423	20423	20423	2028	2024	0	4	32
0	0	0	0	0	9360	9360	9360	2028	2024	0	4	16
0	0	0	0	0	42986	42986	42986	2028	2024	0	4	56
0	0	0	0	0	967	967	967	146	146	0	0	4
0	0	0	0	0	11067	11067	11067	201	201	0	0	8729
0	0	0	0	0	7930	7930	7930	256	256	0	0	4232
0	0	0	0	0	7864	7864	7864	212	212	0	0	4381
67	70	70	38	70	1600	1600	1600	60	60	0	0	4
32	13	13	25	13	395	395	395	4	4	0	0	4
171	75	75	36	75	1354	1354	1354	1748	195	0	0	48
0	0	0	0	0	38	38	38	0	0	0	0	0
22	9	9	20	9	483	453	453	93	93	0	0	16
13	9	9	13	69	113	113	113	12	12	0	0	4
31	81	81	31	81	430	430	430	3	3	0	0	4
711	81	81	467	81	5154	5018	4034	322	310	10	2	12
269	77	77	156	77	2071	2071	2071	494	492	1	2	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.3	<ul> <li>(ग) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under Ministry of Information &amp; Broadcasting</li> </ul>	91833	0	79788	57674	0	57748	32340	9198
30	(क) मंत्रिमंडल संचिवालय (A) Cabinet Secretariat	4091	0	6685	5852	0	17668	25551	43219
31	(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Food Processing Industries (Hq.)	2171	10	698	337	16	2674	2821	2674
31.1	(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (A) Ministry of Food Processing Industries	1247	245	411	320	0	1031	472	0
31.2	(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Food Processing Industries	130	90	15	15	0	25	1589	0
32	(क) भारी उद्योग मंत्रालय (मु.) (A) M/o Heavy Industries (HQ.)	5452	0	1733	1733	0	3791	280	4071
32.1	(A) M/o Heavy Industries (HQ.) (क) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Heavy Industries	9466	0	9629	9629	0	21076	3832	0
32.2	(ग) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Heavy Industries	2950	0	220	220	0	853	1180	1453
33	(क) लोक उद्यम विभाग(मु.), वित्त मंत्रालय (A) D/o Public Enterprises, M/o Finance	397	0	921	596	0	0	3084	9383
34	(क) इस्पात मंत्रालय (A) Ministry of Steel	1367	0	5027	4315	0	11578	1670	0
34.1	(क) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Steel	57088	0	42138	32165	0	171778	4103	84949
34.2	(ख) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Steel	1477	0	3611	2507	0	2791	3310	95450
34.3	(ग) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Steel	10377	0	9884	6526	0	73475	43323	128583
35	(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of New and Renewable Energy (HO)	731	0	359	262	0	3385	1115	2039
35.1	(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o New and Renewable Energy	523	0	1091	701	0	6783	925	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
666	55	55	506	55	3030	3030	3030	1079	749	96	180	39
17	47	47	11	47	455	442	442	34	34	0	0	4
20	5	5	15	25	184	184	184	103	103	0	0	4
4	4	4	60	42	75	75	75	24	24	0	0	4
6	0	0	6	0	105	1	40	113	8	105	77	12
8	100	100	8	100	142	142	142	50	50	0	0	2
25	100	100	8	100	799	749	726	767	643	125	0	11
46	78	78	10	78	752	233	204	71	51	19	2	15
14	12	12	2	86	50	50	50	15	15	0	0	1
8	8	0	0	0	281	281	281	22	22	0	0	4
761	740	740	600	0	8714	8714	8714	3144	4736	86	2322	124
35	29	29	10	0	358	358	358	476	476	0	0	40
532	394	394	381	0	9069	9069	9069	3756	3681	71	5	117
11	11	11	0	100	373	373	373	21	21	0	0	4
25	100	100	25	100	420	420	420	121	121	0	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.2	(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o New and Renewable Energy	333	0	18	14	0	469	193	0
35.3	(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o New and Renewable	111	0	39	39	0	0	1328	892
36	(क) विद्युत मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Power (HQ.)	4653	0	3756	2798	0	19307	11164	19307
36.1	(क) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Power	13363	0	49826	38067	0	183677	15079	15164
36.2	(ख) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Power	1308	0	364557	310379	0	523476	11340	65
36.3	(ग) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Power	6541	0	2376	2155	0	2920	2173	9514
37	(क) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय (A) M/o Agriculture ,Co-operation and Farmer Welfare	10248	0	7605	4693	0	90408	25087	0
37.1	(क) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय (A) M/o Agriculture ,Co-operation and Farmer Welfare	7736	0	14935	8619	51	54336	6315	3327
37.2	(ख) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय (B) M/o Agriculture, Co-operation and Farmer Welfare	236	10	551	284	45	3974	1394	1349
37.3	(ग) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय (C) M/o Agriculture, Co-operation and Farmer Welfare	788	0	2504	2084	287	4676	3504	1675
38	(क) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (A) Department of Agricultural Research & Education	15	0	158	138	0	2450	435	0
38.1	(क) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (A) Department of Agricultural Research & Education	10563	0	18893	13192	257	16334	11592	11360
38.2	(ख) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (B) Department of Agricultural Research & Education	4675	0	5645	5613	0	7896	5138	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	56	56	56	13	13	0	0	4
1	0	0	1	0	80	80	80	72	30	41	1	4
37	54	54	17	54	276	276	0	80	80	0	0	4
228	123	123	95	123	6869	6869	6869	6034845	750	6034076	13	4
283	100	100	0	100	494	494	494	76	76	0	0	0
144	84	84	142	84	925	925	925	230	143	0	4	12
212	170	170	170	78	860	860	860	134	134	0	0	4
181	124	124	116	69	484	481	481	7769	3315	3898	556	56
7	3	3	4	43	21	21	21	23	23	0	0	8
25	12	12	13	48	297	159	156	197	148	34	5	12
5	60	60	2	60	30	30	30	27	27	0	0	4
1183	82	82	208	82	6441	6441	6441	187	98	11	78	250
643	44	44	359	44	1706	1706	1706	9	9	0	0	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.3	(ग) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (C) Department of Agricultural Research & Education	4381	0	3912	3798	0	7915	5561	82
39	मत्स्य पालन विभाग / Department of Fishries	1534	0	364	185	37	1643	960	1643
40	(क) पशु-पालन और डेयरी विभाग (मुख्यालय) (A) D/o Animal Husbandary and Dairying (HQ)	551	0	631	500	0	8383	872	0
40.1	(क) पशु-पालन और डेयरी विभाग (A) D/o Animal Husbandary and Dairying	4693	0	17849	10432	0	14108	7092	0
40.2	(ख) पशु-पालन और डेयरी विभाग (B) D/o Animal Husbandary and Dairying	1591	0	3131	2110	0	22309	5230	0
40.3	(ग) पशु-पालन और डेयरी विभाग (C) D/o Animal Husbandary and Dairying	899	0	526	87	0	7007	3391	0
41	(क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (A) M/o. Statistics & Programme Implementation	7686	0	22045	9741	0	29313	5240	34553
41.1	(क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation	1029	0	18744	11207	0	18812	4490	311
41.2	(ख) साख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation	358	0	303	111	0	931	143	174
41.3	(ग) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation	3484	0	641	290	0	7180	2391	0
42	(क) भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग (मु.) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय (A) Department of Indian Accounts & Audit (HQ) Office of the Comptroller & Auditor General of India	757	0	29557	14645	0	73131	3631	0
42.1	(क) नियंत्रक एवं महा. परीक्षक का कार्यालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under the Comptroller & Auditor General of India	29326	565	730244	366688	707	872300	25505	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1106	76	76	266	76	3028	2792	2795	206	120	58	28	99
2	2	2	2	100	79	79	79	0	0	0	0	4
14	9	9	5	64	207	207	207	23	23	0	0	4
21	20	20	1	95	210	207	207	62	62	0	0	34
61	58	58	3	95	648	648	648	130	130	0	0	17
10	7	7	3	70	93	84	84	0	0	0	0	49
37	37	37	0	100	580	580	580	30	30	0	0	4
41	8	8	7	20	338	338	338	39	39	0	0	12
13	11	11	13	85	88	88	88	50	50	0	0	8
61	29	29	49	48	523	523	523	160	130	30	0	17
75	100	100	0	100	1926	1770	1770	24	24	0	0	4
696	74	74	183	74	15612	15237	4723	1806	1401	322	0	262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.2	(ख) नियंत्रक एवं महा. परीक्षक का कार्यालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under the Comptroller & AuditorGeneral of India	15663	11	1505930	55736	1	532725	365420	0
42.3	<ul> <li>(ग) नियंत्रक एवं महा. परीक्षक का कार्यालय के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under the Comptroller &amp; Auditor General of India</li> </ul>	32888	4215	26365	10383	774	203866	123730	0
43	(क) पत्तन, पति परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Ports, Shipping and Waterways (ग्रञ्)	714	0	1242	832	0	7086	8480	0
43.1	(क) पत्तन, पति परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Ports,Shipping and Waterways	6288	0	7763	5623	15	11467	2827	0
43.2	(ख) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Ports,Shipping and Waterways	25903	352	18291	13918	334	69774	23721	3389
43.3	(ग) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Ports,Shipping and Waterways	16064	861	7059	4402	0	8604	18469	40947
44	(क) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (A) Ministry of Road Transport & Highways	2372	0	1829	1728	0	29563	4946	0
45	(क) भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (A) National Highway Authority of India	4698	0	3525	2822	0	9034	890	0
46	(क) नागर विमानन मंत्रालय (मुख्यालय) (A) Ministry of Civil Aviation (HQ) (क) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन कार्यालय	716	0	3494	3150	0	21933	2218	716
46.1	(A) Offices under M/o Civil Aviation	20809	0	14665	10798	0	147725	18144	20809
367	(क) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसा. एवं पेट्रो-रसायन विभाग (A) M/o Chem. & Fertilizers, D/o Chemicals & Petro- Chemicals	167	0	630	411	0	2547	1701	0
47.1	(क) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (A) Offices under D/o Chemicals & Petro- Chemicals	367	0	592	592	0	5002	109	403
47.2	(ख) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (B) Offices under D/o Chemicals & Petro- Chemicals	1191	0	1086	821	0	2704	279	1041

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
396	66	66	134	66	7109	7108	453	944	803	32	0	109
764	41	41	447	41	13900	12477	5447	2046	1794	29	0	314
79	23	23	56	29	325	325	325	141	141	0	0	4
33	19	19	14	58	375	375	375	125	125	0	0	10
444	423	423	21	95	2185	2185	2185	1102	1086	7	9	36
280	231	231	49	83	5108	4878	4878	694	632	48	14	37
24	12	12	10		574	574	574	58	58	0	0	4
92	92	92	0	91	770	770	770	90	90	0	0	4
11	45	45	6	45	233	233	233	36	36	0	0	4
252	249	249	3	99	2833	2833	2833	295	295	0	0	40
15	80	80	3	80	149	149	0	12	12	0	0	4
7	100	100	0	100	101	101	101	97	95	0	2	8
41	83	83	8	83	113	113	113	116	115	0	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.3	(ग) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (C) Offices under D/o Chemicals & Petro- Chemicals	1109	0	1170	608	0	1060	4548	4953
48	(क) उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (A) Deptt. of Fertilizer, M/o Chem. & Fertilizers	1088	0	1847	1104	0	4188	4575	544
48.1	(क) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Fertilizers	7492	0	13042	7646	1	36828	1091	3657
48.2	(ख) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Fertilizers	52945	0	3364	3253	99	37689	1733	32
48.3	(ग) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Fertilizers	4364	0	1394	961	9	4665	1579	2268
49	(ক) औषध विभाग (A) Department of Pharmaceuticals	3183	0	1296	558	0	4735	3668	4735
49.1	(क) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Department of Pharmaceuticals	802	0	242	102	0	250	306	313
49.2	(ख) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Department of Pharmaceuticals	1697	0	153	140	0	8523	1229	0
49.3	(ग) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Department of Pharmaceuticals	2386	0	132	87	0	198	993	1298
50	(क) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (A) Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Devlop. and Ex. Servicemen welfare Deptt., Ministry of Defence	34173	0	4650	3140	0	20539	19433	0
50.1	<ul> <li>(क) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग</li> <li>(A) Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research &amp; Devlop. and Ex. Servicemen welfare Deptt., Ministry of Defence</li> </ul>	126259	555	462511	350875	202	1435731	308011	27963
50.2	(ख) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (B) Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Devlop. and Ex. Servicemen welfare Deptt., Ministry of Defence	25006	0	441114	97939	0	1322405	208434	25612

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27	10	10	17	37	272	272	272	97	96	0	1	10
83	79	79	4	95	270	270	270	63	63	0	0	2
36	36	36	5	100	1619	1619	1619	276	276	0	0	35
48	40	40	39	83	1985	1859	1859	196	196	0	0	20
8	8	8	8	100	1132	1132	1132	383	383	0	0	24
4	25	25	3	25	103	103	103	18	18	0	0	2
8	63	63	8	63	232	210	210	333	34	298	1	4
55	78	78	55	78	1174	1119	1157	10156	102	8149	0	11
13	85	85	13	85	427	224	314	93	74	19	0	9
101	45	45	45	45	1450	1205	1205	46	46	0	0	4
4469	3329	3329	1782	74	23340	23311	23297	7097	7063	3	31	405
758	324	324	476	43	7449	7449	7449	822	813	0	9	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.3	(ग) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (C) Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Devlop. and Ex. Servicemen welfare Deptt., Ministry of Defence	35072	0	43360	26860	0	321300	193447	53157
51	(क) रक्षा उत्पादन विभाग (सचिवालय) (A) Deptt. Of Defence Production (Secretariat)	239	0	715	446	0	2050	510	2050
51.1	(क) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Defence Production	39282	0	59010	52637	0	204325	30050	16689
51.2	(ख) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Defence Production	15050	0	9077	6111	0	28307	7934	1819
51.3	(ग) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Defence Production	47186	0	9816	7379	0	76364	53714	75737
52	(क) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (A) Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce	1050	0	962	779	0	8756	5212	1645
52.1	(क) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (A) Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce	3021	0	12612	10390	12	68207	35689	18095
52.2	(ख) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (B) Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce	639	0	29338	22877	0	90144	6394	360526
52.3	(ग) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (C) Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce	27629	0	4805	2071	0	16503	58766	69595
53	(क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (मुख्यालय) (A) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (HO)	2915	0	6492	9199	0	30338	12144	0
53.1	(क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन कार्यालय (A) Office under Department for Promotion of	3517	0	7673	4976	0	22687	8458	0
53.2	Industry and Internal Trade (ख) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन कार्यालय (B) Office under Department for Promotion of Industry and Internal Trade	6501	0	3607	2779	0	615292	454309	0
53.3	(ग) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन कार्यालय (C) Office under Department for Promotion of Industry and Internal Trade	1552	0	12	6	0	255	919	0
54	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Science & Technology, Ministry of Science & Technology	2602	0	1414	1212	0	16791	4560	7060

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
568	135	135	306	24	11459	11283	10972	428	408	0	20	221
7	6	6	7	86	172	172	172	29	29	0	0	4
578	444	444	279	77	8362	8362	8362	2555	2471	0	84	85
81	100	100	77	100	3299	3299	3299	809	748	0	0	60
1145	48	48	661	48	32385	32385	32385	2870	2781	89	0	63
176	87	87	93	87	670	670	670	149	149	0	0	4
61	75	75	36	75	1332	1323	1323	315	306	2	12	25
0	0	0	0	0	351	351	237	96	90	4	1	7
141	62	62	131	62	981	859	859	365	349	6	8	27
44	57	57	25	57	620	620	620	200	200	0	0	3
51	65	65	41	65	1042	1018	1018	7573	266	7224	73	23
169	36	36	163	36	2778	2699	2699	207	58	143	5	11
1	100	100	0	100	246	211	211	37	8	29	0	0
33	14	14	33	42	496	496	496	36	36	0	0	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under <u>D/o Science &amp; Technology</u>	7257	0	1107	896	0	5015	1733	7067
	(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under D/o Science & Technology	9502	0	780	459	0	7730	905	5044
54.3	<ul> <li>(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under D/o Science &amp; Technology</li> </ul>	2625	0	196	129	0	2290	2841	3464
55	(क) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology	1589	0	602	505	0	8786	1272	8786
55.1	(क) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Biotechnology, Ministry of Sciecnce & Technology	2781	0	1435	1435	0	450	300	4945
55.2	(ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Biotechnology, Ministry of Sciecnce & Technology	1579	0	890	720	0	415	718	1538
55.3	(ग) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (C) D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology	694	0	287	168	0	66	718	319
	(क) वस्त मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Textiles (HQ)	1566	0	1743	1607	0	8589	5063	0
57.1	(क) वस्त मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices of M/o Textiles	1796	0	8999	6079	0	98169	8376	593
57.2	(ख) वस्त मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices of M/o Textiles	2617	0	7210	5355	0	44239	11274	2644
57.3	(ग)         वस्त मंत्रालय के अधीन कार्यालय           (C)         Offices of M/o Textiles	6847	0	4524	3278	0	12215	9337	15151
58	(क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation	978	0	1249	1207	0	4864	872	978
59	(क) दूरसंचार विभाग मंत्रालय (A) D/o Telecom. M/o Communications & Information Tech.	12017	7030	1889	1495	56	9873	16378	28253
	(क) दूरसंचार विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Telecommunications	13535	10456	4592	2748	3	22462	17643	17940
59.2	(ग) दूरसंचार विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Telecommunications	1696	212	3294	2985	0	8561	1657	8560

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
68	40	40	68	59	1018	1018	1018	116	108	0	8	22
13	12	12	13	92	420	420	420	64	48	0	16	13
67	48	48	67	72	1032	995	995	285	283	0	2	24
4	4	4	4	100	315	315	315	22	22	0	0	4
10	8	8	2	80	1475	1475	1475	158	158	0	0	20
4	2	2	2	50	660	460	200	59	51	7	1	12
3	2	2	1	67	410	230	230	15	0	15	0	22
7	29	29	5	29	399	399	399	25	25	0	0	4
137	59	59	56	59	656	656	656	257	255	0	2	26
93	93	93	0	100	499	499	499	206	205	6	1	12
39	72	72	11	72	408	408	408	128	112	14	2	16
73	73	73	62	100	736	736	736	57	57	0	0	4
340	92	92	27	92	980	980	980	379	379	0	0	4
130	98	98	2	98	2997	2958	2958	309	290	20	1	22
5	60	60	2	60	1016	850	891	651	651	18	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	(क) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) M/o Electronics & Information Technology,	159	0	340	289	0	1224	698	424
60.1	(क) इलेक्ट्रॉ. एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Electronics & Information Tech.	523	0	3548	3268	0	7578	2876	1273
60.2	(ख) इलेक्ट्रॉ. एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Electronics & Information Tech.	58	0	147	147	0	705	176	146
61	(क) डाक विभाग (मु.) (A) Deptt. of Posts (HQ)	368	0	1235	1192	0	493	434	3125
61.1	(क) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Posts	2752	0	112198	106877	0	22346	10659	8036
61.2	(ख) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under D/o Posts	246	0	3282	2881	0	37049	21128	2016
61.3	<ul> <li>(ग) डाक विभाग के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under D/o Posts</li> </ul>	1767	0	1406	1363	0	10688	32485	23080
62	(क) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (मु.)	3361	0	1846	1524	0	5567	3417	5567
62.1	(A)         M/o Labour & Employment (HQ)           (क)         श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन कार्यालय           (A)         Offices under M/o Labour & Employment	42674	0	631884	433368	19	1376697	62186	110454
62.2	(ख) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन कार्योलय (B) Offices under M/o Labour & Employment	22915	0	123721	89686	0	567026	63402	59330
62.3	(B) Offices under M/o Labour & Employment           (ग) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन कार्यालय           (C) Offices under M/o Labour & Employment	23125	0	18855	12614	0	268655	898834	666598
63	(क) संघ लोक सेवा आयोग (A) Union Public Service Commission	3758	0	13111	6565	0	179885	9389	3976
64	(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग (A) M/o of Rural Development, Deptt. of Rural Development	9912	0	21596	17836	0	37395	4850	352
64.1	(क) ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under ,Deptt. of Rural Development	617	0	282	191	0	3806	183	58
64.2	<ul> <li>(ग) ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under, Deptt. of Rural Development</li> </ul>	1642	0	239	164	0	2409	4531	0
65	(क) भूमि संसाधन विभाग (A) Deptt. of Land Resources	131	0	1416	1245	0	5096	1139	0
66	(а)         Deprive the Land Resources           (а)         पर्यटन मंत्रालय           (A)         Ministry of Tourism	3374	0	1060	660	0	8006	4024	8006
66.1	(क) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Tourism	4899	0	3065	1890	0	11168	3013	3115
66.2	(ख) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Tourism	4050	0	907	466	0	5367	3001	7232
66.3	(ग) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (ए) Offices under M/o Tourism	8941	0	824	662	0	3082	6612	3572

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
50	88	88	44	88	1256	1256	1256	107	107	0	0	4
10	60	60	4	60	1176	1176	1176	92	92	0	0	4
								194	192	0	2	12
44	35	35	9	80	520	520	520	163	163	0	0	4
120	100	100	56	83	863	863	863	2949	2949	1	1	36
17	15	15	16	88	651	651	651	247	247	0	0	12
384	145	145	257	38	6941	6941	6059	1142	1142	0	0	30
32	18	18	14	56	284	284	284	52	52	0	0	4
2306	65	65	1464	65	6408	6388	6363	569	561	0	0	4
848	72	72	502	72	3702	3702	3702	177	177	0	0	4
758	18	18	622	18	5981	5893	5399	76	78	0	0	4
117	83	83	114	71	1025	1025	1025	108	108	0	0	4
81	85	85	77	85	635	635	635	31	31	0	0	3
38	84	84	38	84	98	93	98	78	45	0	0	6
49	100	100	24	100	370	370	270	1542	415	1092	425	4
12	12	12	11	50	117	117	117	16	16	0	0	4
49	30	30	19	61	230	230	230	34	34	0	0	4
67	51	51	16	76	409	407	382	112	106	4	2	29
25	14	14	11	56	241	235	241	163	135	5	23	20
63	27	27	36	43	714	542	446	5510	700	3916	894	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	(क) संस्कृति मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Culture (HQ)	4112	0	2366	1903	0	17257	9361	4112
67.1	(क) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Culture	8856	0	19736	15032	0	57886	15473	9562
67.2	(ख) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Culture	1766	0	1628	427	0	909	3570	1766
67.3	<ul> <li>(ग) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under Ministry of Culture</li> </ul>	15533	0	5870	1690	0	16975	28800	16201
68	(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Tribal Affairs	4203	0	3605	2839	0	7787	5105	4193
68.1	(क) जनजातींय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Tribal Affairs	248	0	6342	4380	0	15063	2844	15063
69	(क) भारत का निर्वाचन आयोग (A) Election Commission of India	3188	0	26992	19327	0	17630	7274	17630
70	(क) पंचायती राज मंत्रालय (A) Panchayati Raj Mantralaya	525	0	1161	1033	0	2655	2978	2655
71	(क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (A) Ministry of Youth Affairs & Sports	624	0	1744	1479	0	7072	3195	580
71.1	(क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (A) Ministry of Youth Affairs & Sports	2679	0	11231	8284	0	25943	2256	1899
72	(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (A) Ministry of North Eastern Region Development	727	0	436	292	0	2635	1144	2635
72.1	(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (C) Ministry of North Eastern Region	381	0	136	117	0	4665	14822	2622
73	(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Minority Affairs	921	0	1402	1118	0	5924	2015	0
74	(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (A) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	599	0	1225	1089	0	9524	1621	11145
74.1	(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (A) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	1521	0	1649	1211	0	18020	2687	0
74.2	(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	136	0	4314	3150	0	15374	4177	555
74.3	(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Micro, Small and	425	0	387	198	0	10502	4330	359
75	Medium Enterprise (क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Petrolium & Natural Gas (HQ)	2827	0	2740	2362	0	14002	2233	1954
75.1	(क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Petrolium & Natural Gas	38865	0	273198	212509	220	3997288	322245	37536

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
70	39	39	31	56	271	271	271	44	42	0	2	4
261	212	212	49	81	3017	2865	2890	928	921	2	5	4
9	2	2	7	22	35	21	11	30	29	1	0	4
284	150	150	134	53	1155	790	860	179	162	15	2	4
6	6	6	3	50	102	102	102	47	47	0	0	1
29	29	29	4	86	169	169	169	33	33	0	0	10
237	95	95	12	95	901	901	901	127	127	0	0	2
6	5	5	1	83	132	132	132	26	26	0	0	1
14	14	14	14	79	272	272	272	15	15	0	0	4
63	63	63	60	100	786	786	786	70	70	0	0	10
18	10	10	8	58	138	138	138	17	17	0	0	2
40	30	30	40	32	338	338	338	26	26	0	0	14
35	17	17	35	49	197	197	197	13	13	0	0	4
9	22	22	7	22	170	170	170	20	20	0	0	0
33	76	76	8	76	420	420	390	159	159	0	0	7
52	52	52	2	94	750	750	750	46	46	0	0	8
16	16	16	1	100	372	372	372	314	299	15	0	8
26	26	26	26	100	288	288	288	57	57	0	0	4
981	100	100	981	100	20134	20134	20134	1370	1355	0	15	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.2	(ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Petrolium & Natural Gas	22635	0	165920	122349	0	1889412	265140	56717
75.3	(ग) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Petrolium & Natural Gas	15379	0	154315	90072	220	647933	584318	211985
76	(क) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Corporate Affairs	17747	0	5069	3879	0	50475	6140	0
76.1	(क) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Corporate Affairs	1441	0	7210	7210	0	45218	10215	0
76.2	(ख) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Corporate Affairs	371	0	1690	1526	0	1815	580	0
76.3	<ul> <li>(ग) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय</li> <li>(C) Offices under Ministry of Corporate Affairs</li> </ul>	660	0	1869	1723	0	1750	1141	0
77	(क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (A) Ministry of Women & Child Development	3564	0	1224	1016	0	6715	904	5811
78	(क) पेयजल और स्वच्छता विभाग (A) Department of Drinking Water and Sanitation	592	0	3319	2820	0	16118	2644	1183
79	(क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग(मुख्यालय) (A) Department of Empowerment of Persons with Disabilities(HQ)	2654	0	7274	6716	0	10137	5267	10137
79.1	(क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (A) Department of Empowerment of Persons with Disabilities	6311	0	10970	6791	0	63403	14788	63403
79.2	(ख) दिव्यांगजन संशक्तिकरण विभाग (B) Department of Empowerment of Persons with Disabilities	223	0	392	285	0	1783	2448	1783
79.3	(ग) दिव्यांगजन संशक्तिकरण विभाग (C) Department of Empowerment of Persons with Disabilities	1373	0	221	192	0	1916	3224	1916
80	(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (A) Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	6501	0	1836	1297	539	3639	2485	1154

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
700	100	100	700	100	24865	24865	24865	1215	1209	0	6	4
1235	99	99	889	99	27077	27077	27077	2146	2139	0	7	4
41	37	37	41	90	270	270	270	270	270	0	0	4
19	15	15	19	79	180	180	180	213	213	0	0	4
10	8	8	9	80	110	110	110	214	214	0	0	4
8	6	6	4	75	56	56	56	214	214	0	0	4
10	10	10	0	100	422	422	422	52	52	0	0	4
1	100	100	1	100	230	230	230	38	38	0	0	4
29	29	29	29	100	187	187	187	11	11	0	0	3
78	69	63	36	88	585	585	585	214	211	0	0	19
20	20	20	20	100	90	90	90	127	127	0	0	4
11	2	2	11	18	239	239	239	215	215	0	0	12
41	4	4	37		170	170	170	61	61	0	0	4

### CHAPTER-2 PART-B

### Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments /Offices etc. during the year 2022-23

	Ministries/Dep	partments/ Offices which have violated the Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963		Min	istries/Departments/ Offices which have violated Rule-5 of Official Language Rules, 1976
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/Departments/ Offices	Sr. No.	Code No.	Ministries/Departments/ Offices
1.	9.1	Offices under D/o Consumer Affairs region A	1.	9.1	Offices under D/o Consumer Affairs region A
2.	<b>10.</b> 1 to 10.3	Offices under M/o of Home Affairs region A to C	2.	<b>10.</b> 1 to 10.3	Offices under M/o Home Affairs region A to C
3.	27.1 to 27.3	Offices under M/o of Ayush region A to C	3.	12.1	Units/Undertakings/Institutions under D/o Atomic Energy region A
4.	31 and 31.1 31.2	Offices under M/o Food Processing Industries (HQ) and region 'A' & "C'	4.	15.1	Offices under Ministry of Earth Science region 'A'
5.	37.2	Offices under M/o Agriculture, Co-operation and Farmer Welfare Region "B"	5.	18.2	Offices under Ministry of External Affairs, and region 'B'
6.	42.1 to 42.3	Offices under the Comptroller & Auditor General of India region 'A' to 'C'	6.	22	Offices under Department of Investment and Public Asset Mangement region 'A'
7.	43.2 & 43.3	Offices under Ministry of Ports, Shipping and Waterways region 'B' and 'C'	7.	24	Offices under Department of Economic Affairs (Hq.), Ministry of Finance
8.	50.1	Offices under Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research &	8.	27.1 to 27.3	Offices under M/o of Ayush region A to C
		Devlop. and Ex. Servicemen welfare Deptt., Ministry of Defence region 'A'	9.	31	Offices under M/o Food Processing Industries (HQ) region 'A'
9.	59 to 59.2	Office under Department of Telecommunication region 'A' to 'C'	10.	37.1 to 37.3	Offices under M/o Agriculture, Co-operation and Farmer Welfare region 'A' to 'C'
			11.	38.1	Offices under Department of Agricultural Research & Education region 'A'
			12.	40 to 40.1	Offices under Department of Fishries region 'A' & 'B'
			13.	42.1 to 42.3	Offices under the Comptroller & Auditor General of India region 'A' to 'C'
			14.	43.1 to 43.2	Offices under the M/o of Ports, Shipping and Waterways region 'A' & 'B'
			15.	48.1 to 48.3	Offices under Deptt. of Fertilizers region 'A' to 'C'
			16.	50.1	Offices under Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Devlop. and Ex. Servicemen welfare Deptt., Ministry of Defence region 'A'
			17.	52.1	Deptt. of Commerce under M/o Commerce & Industries region 'A'
			18.	59 to 59.1	Offices under Ministry of Telecommunication (Hq.) & region 'A'
			19.	62.1	Offices under Ministry of Labour & Employment region 'A'
			20.	75.1 & 75.3	Offices under Ministry of Petrolium & Natural Gas, region 'A" and "C'
			21.	80	Offices of M/o of Skill Development and Entrepreneurship

<u>अध्याय-2</u> <u>भाग-ख</u> वर्ष 2022-23 के दौरान मंत्रालय / विभागों/कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्राल है:	य/ विभागों के नाम	, जिनमें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (3)3 का उल्लंघन हुआ	मंत्राल	य/ विभागों के) नाग	म, जिनमें राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन हुआ है:
क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों विभागों/ कार्यालयों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों विभागों/ कार्यालयों के नाम
1.	9.1	उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	1.	9.1	उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
2.	10.1 से 10.3	गृह मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	2.	10.1 से 10.3	गृह मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
3.	27.1 से 27.3	आयुष मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग'क्षेत्र के कार्यालय	3.	12.1	परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम/संस्थान के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
4.	31 और 31.1 से 31.2	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (मु॰) व इसके अधीन 'क' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	4.	15.1	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
5.	37.2	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन 'ख'क्षेत्र के कार्यालय	5.	18.2	विदेश मंत्रालय के अधीन 'ख'क्षेत्र के कार्यालय
6.	42.1 से 42.3	नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का कार्यालय के अधीन 'क' से 'ग'क्षेत्र के कार्यालय	6.	22	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के 'क' क्षेत्र के कार्यालय
7.	43.2 तथा 43.3	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन 'ख' एवं 'ग'क्षेत्र के कार्यालय	7.	24	आर्थिक कार्य विभाग (मुख्यालय), वित्त मंत्रालय
8.	50.1	रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	8.	27.1 से 27.3	आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
9.	59 से 59.2	दूरसंचार विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	9.	31	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (मु०) के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
			10.	37.1 से 37.3	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
			11.	38.1	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
			12.	40 से 40.1	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन 'क' और 'ख' क्षेत्र के कार्यालय
			13.	42.1 से 42.3	नियंत्रक एवं महा परीक्षक का कार्यालय के अधीन 'क' से 'ग'क्षेत्र के कार्यालय
			14.	43.1 से 43.2	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन 'क' व 'ख'क्षेत्र के कार्यालय
			15.	48.1 से 48.3	उर्वरक विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
			16.	50.1	रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
			17.	52.1	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के 'क' क्षेत्र के कार्यालय
			18.	59 तथा 59.1	दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मुख्यालय तथा 'क' क्षेत्र के कार्यालय
			19.	62.1	श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अधीन 'क ' क्षेत्र के कार्यालय
			20.	75.1 तथा 75.3	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 'क' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
			21.	80	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

### CHAPTER-2 PART-B

#### Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments/Offices etc., during the year 2022-23

The Mir	nistries/Deptts. whe	re Codes/Manuals etc. are not bilingual as per Rules:-	The M	linistries/Deptts. w	/here Codes/Manuals etc. are not bilingual as per Rules:-
Sr.No	Code No.	Names of Ministries/ Departments/ Offices	S.No	Code No.	Names of Ministries/ Departments/ Offices
1.	1, 1.1 to 1.2	Department of Space (Secretariat) & its Centres under, region B & C	21.	25.5 and 25.5.1 to 25.5.3	SIDBI and its offices in region A & B
			22.	25.7, 25.7.1 and 25.7.3	NABARD (HQ) and its offices in region A & C
2.	2.1 to 2.3	Offices under M/o Coal region A to C	23.	25.9 to 25.9.3	Punjab & Sind Bank (HQ) and its offices in region A to C
			24.	25.10, 25.10.1 to 25.10.3	IDBI (HQ) and Its offices under IDBI in region A to C.
3.	4	Ministry of Social Justice & Empowerment region-A	25.	25.12, 25.12.1 to 25.12.3	Union Bank of India (HQ) & its offices in region A to C
4.	5 & 5.1	M/o Personnel, Pub. Grievances & Pensions, D/o Personnel & Training in region-A	26.	25.13, 25.13.1 to 25.13.3	Indian Bank(HQ) and its offices in- region A to C
5	7	Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions Deptt. of Administrative Reforms & Public Grievances.	27.	25.14	National Housing Bank (HQ)
6.	8.1	Offices under Deptt. of Food & Public Distribution under region-A	28.	25.15, 25.15.1 to 25.15.3	The Oriental Insurance Co. Ltd (HQ) and its offices in region A to C
7.	9.1 & 9.3	Offices under Deptt. of Consumer Affairs, region A & C	29.	25.16, 25.16.1 to 25.16.3	The United India Insurance Co. Ltd (HQ) and its offices in region A to C
8.	10.1 to 10.3	Offices under Ministry of Home Affairs region A to C	30.	25.17	Agriculture Insurance Co. of India Ltd (HQ)
	11.1 to 11.3	Offices under M/o Jal Shakti region A to C	31.	25.21	Reserve Bank of India (HQ)
9.			32.	25.22,25.22.1 to 25.22.3	Canara Bank. (HQ) & its offices in region A to C
10.	12.1 to 12.3	Offices under Deptt. of Atomic Energy of its Units/ Undertakings/Institutions under region A to C	33.	29.1 to 29.3	Ministry of Information & Broadcasting offices in region A to C
11.	14.1 to 14.3	Offices under M/o Education, D/o Higher Education region A & C	34.	31.2	Offices under Ministry of Food Processing Industries in region-B
12.	15.3	Offices under Ministry of Earth Science region C	35.	32.1 & 32.2	Offices under M/o Heavy Industries in region A & B
13.	16.1	Offices under NITI AYOG Offices under region A	36.	34.1 <b>&amp;</b> 34.3	Offices under M/o Steel- region-'A & C'
14.	17, 17.1 to 7.3	M/o Railways (Railway Board) and its offices under region A to C	37.	35.3	Offices under M/o New and Renewable Energy- Region- C
15.	20.1 to 20.3	Offices under Department of Legal Affairs-Region 'A to C'	38.	36.1	Offices under M/o Power in region A
16.	21 to 21.1	Offices under Department of Expenditure region-A	39	37.1 & 37.3	M/o Agriculture ,Co-operation and Farmer Welfare in region A & C
17.	23.1	Offices under Deptt. of Revenue region- A	40.	38.1 & 38.3	Department of Agricultural Research & Education offices in region A & C
18.	24.2& 24.3	Deptt. of Economic Affairs Ministry of Finance and its offices under region B to C	41.	41.3	Offices under M/o Statstics & Programme Implemention region C
19.	25.3, 25.3.1 to 25.3.3	UCO Bank (HQ) and its offices under region A to C	42.	42.1 to 42.3	Offices under the Comptroller & Auditor General of India region-A to C
20.	25.4 & 25.4.1 to 25.4.2	Bank of India (HQ) and its offices in region A to C	43.	43.2 <b>&amp;</b> 43.3	Offices under M/o Shipping, region B & C

#### अध्याय-2

#### <u>भाग-ख</u> वर्ष 2022-23 के दौरान मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्राल	यों/विभागों/ कार्यालयों	के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है:	मंत्रालयों	/विभागों/ कार्यालयों के नाम	r, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है <mark>:</mark>
क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालय/विभागों <b>/</b> कार्यालयों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के नाम
1.	1, 1.1 से 1.2	अंतरिक्ष विभाग (मुख्यालय) तथा अंतरिक्ष विभाग के अधीन 'ख' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	21.	25.5, 25 <b>.</b> 5 <b>.</b> 1 से 25.5.3	सिडबी तथा इसके क और ख क्षेत्र में स्थित कार्यालय
2.	2.1 से 2.3	कोयला मंत्रालय और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	22.	२५.७, २५.७.१ तथा २५.७.३	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (मुख्या) और उसके अधीन 'क' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
3.	4	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	23.	25.9 से 25.9.3	पंजाब एंड सिंध बैंक (प्रधान कार्यालय) और उसके अधीन'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
4.	5व 5.1	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 'क' क्षेत्र के कार्यालय	24.	25.10, 25.10.1 से 25.10.3	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (प्रधान कार्यालय ) और उसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
5.	7	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	25.	25.12, 25.12.1 से 25.12.3	यूनियन बैंक आफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) एवं इसके अधीन'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
6.	8.1	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	26.	25.13 , 25.13.1 से 25.13.3	इंडियन बैंक (प्रधान कार्यालय) और उसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
7.	9.1 व 9.3	उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन 'क' व 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	27.	25.14	राष्ट्रीय आवास बैंक ( प्रधान) कार्यालय)
8.	10.1 से 10.3	गृह मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	28.	25.15, 25.15.1 से 25.15.3	दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ( प्रधान कार्यालय) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
9.	11.1 से 11.3	जल शक्ति मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	29.	25.16, 25.16.1 से 25.16.3	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रधान कार्यालय) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
10.	12.1 से 12.3	परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के यूनिट संस्थान/उपक्रम/	30.	25.17	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
11.	14.1 से 14.3	उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	31.	25.21	भारतीय रिजर्व बैंक (मुख्यालय)
12.	15.3	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	32.	25.22, 25.22.1 से 25.22.3	केनरा बैंक (मुख्यालय) और इसके अधीन ''क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
13.	16.1	नीति आयोग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	33.	29.1 से 29.3	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
			34.	31.2	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन 'ख'क्षेत्र के कार्यालय
14.	17, 17.1 से 17.3	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	35.	32.1 तथा 32.2	भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के कार्यालय
15.	20.1 से 20.3	विधि कार्य विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	36.	34.1 व 34.3	इस्पात मंत्रालय के अधीन 'क' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
16.	21 से 21.1	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	37.	35.3	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
17.	23.1	राजस्व विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	38.	36.1	विद्युत मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
			39.	37.1 व 37.3	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन 'क' व 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
18.	24.2 से 24.3	आर्थिक कार्य विभाग (मु0) के अधीन 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	40.	38.1 एवं 38.3	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के अधीन 'क' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
19.	25.3, 25.3.1 से 25.3.3	यूको बैंक (प्रधान कार्यालय) तथा इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	41.	41.3	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र 'ग' के कार्यालय
20.	25.4 और 25.4.1से 25.4.2	बैंक ऑफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) तथा इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	42.	42.1 से 42.3	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
			43.	43.2 व 43.3	पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन 'ख' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
			20	1	

## CHAPTER-2

### PART-B (Contd....)

### Assessment of the implementation of the Official Language Policy in

### Ministries/Departments/Offices etc. during the year 2022-23

The Min as per R		nts/ Offices where Codes/Manuals etc. are not bilingual	The Min as per F		nents/ Offices where Codes/Manuals etc. are not bilingual
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments/ Offices	Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments/ Offices
44.	47.1to 47.3	Offices under D/o Chemicals & Petro-Chemicals, region A to C	57.	66.1 to 66.3	Offices under M/o Tourism- region A to C
45.	49.1 to 49.3	Offices under D/o Pharmaceuticals in region A to C.	58.	67 & 67.1 to	Offices under M/o Culture (HQ) and its Offices under
46.	50.1 to 50.3	Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Development and Ex. Servicemen Welfare Deptt., Ministry of Defence in region A to C		67.3	region A to C
47.	51.1 & 51.3	Offices under Deptt. of Defence Production, Region A & C	59.	74.3	Offices under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise in region 'C"
48.	52.1 to 52.3	Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce, region A to C	60.	75.1 to 75.3	Offices under Ministry of Petrolium & Natural Gas, region 'A' to "C'
49.	53.1 to 53.3	D/o Industrial Policy & Promotion Offices under - region A to C			
50.	54.1 to 54.3	D/o Science & Technology, Ministry of Science & Technology Offices under – region 'A to C'			
51.	55.2 & 55.3	D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology Offices under – region 'B &C'			
52.	57.1 to 57.3	Offices of M/o Textiles- region 'A to C'			
53.	59.1 and 59.2	D/o Telecom. M/o Communications & Information Offices under region A & B			
54.	60.2	Offices under D/o Electronics & Information Tech.in region 'B'			
55.	61.1	Offices under, Department of Post region A			
56.	64.2	Offices under, Deptt. of Rural Development region B			

### अध्याय-2 (जारी.....) <u>भाग-ख</u>

# वर्ष 2022-23 के दौरान मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्राल द्विभा	तयों/विभागों/ कार्या षी नहीं है:	लियों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार	मंत्रा	लयों/विभागों/ काय	लियों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है:
क्रम .सं	कोड संख्या	मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के नाम	क्र.सं	कोड संख्या	मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के नाम
44.	47.1 से 47.3	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	57.	66.1 से 66.3	पर्यटन मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
45.	49.1 से 49.3	औषध विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	58.	67 तथा 67.1 से 67.3	संस्कृति मंत्रालय (मुख्या.) तथा उसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
46.	50.1 से 50.3	रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	59.	74.3	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
47.	51.1 तथा 51.3	रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन 'क' तथा 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	60.	75.1 से 75.3	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
48.	52.1 से 52.3	वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
49.	53.1 से 53.3	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन 'क' से ''ग' क्षेत्र के कार्यालय			
50.	54.1 से 54.3	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
51.	55.2 & 55.3	बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन 'ख' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
52.	57.1 to 57.3	वस्त्र मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
53.	59.1 और 59.2	दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन 'क' और ख क्षेत्र के कार्यालय			
54.	60.2	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय	1		
55.	61.1	डाक विभाग के अधीन कार्यालय			
56.	64.2	ग्रामीण विकास विभाग के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय			

# CHAPTER-2 PART-B

#### Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments/Offices etc., during the year 2022-23

Names of the Ministries/Deptts. which have not convened the prescribed 04 meetings of Official Language Implementation Committee during the year.				Names of the Ministries/Deptts. which have not convened the prescribed 04 meetings of official language Implementation committee during the year.		
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments	Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments	
1.	7	(A) Deptt. of Administrative Reforms & Public Grievances Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions	18.	64	(A) M/o Rural Development, Deptt. of Rural Development (HQ)	
2.	8.2	(C) Offices under D/o Food & Public Distribution region "B"	19.	68	Ministry of Tribal Affairs (HQ)	
3.	9	Deptt. of ConsumerAffairs (H.Q)	20.	69	(A) Election Commission of India (HQ)	
			21.	70	(A) Ministry of Panchayati Raj (HQ)	
4.	11.3	(C) Offices under M/o Jal Shakti region "C"	22.	72.2	(A) M/o North Eastern Region Development (HQ)	
5.	<b>1</b> 6.1	(A) Offices under NITI AYOG region "A"	23.	74	(A) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise (HQ)	
6.	18	(A) Ministry of External Affairs	24.	79	(A) D/o Empowerment of Persons with Disabilities (HQ)	
7.	21.1	(A) Offices under Deptt. of Expenditure region "A"				
8.	23	(A) Deptt. of Revenue (HQ), Ministry of Finance				
9.	24	(A) Deptt. of Economic Affairs (HQ), Ministry of Finance				
10.	<b>2</b> 7.2	(B) Ministry of AYUSH Offices under region "B"				
11.	32	(A) M/o Heavy Industries (HQ)				
12.	<b>3</b> 3	(A) D/o Public Enterprises (HQ), M/o Finance				
13.	36.2	(B) Offices under Ministry of Power 'B' Region				
14.	48	(A) Deptt. of Fertilizer, M/o Chemical & Fertilizers (HQ)				
15.	49	(A) Department of Pharmaceuticals (HQ)				
16.	53	(A) D/o Promotion of Industry and Internal Trade (HQ)				
17.	53.3	(C) Offices under D/o Promotion of Industry and Internal Trade "C" Region				

### अध्याय-2 <u>भाग-ख</u>

# वर्ष 2022-23 के दौरान मंत्रालय/विभागों / कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों के नाम,जिनमें वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निर्धारित चार बैठकें आयोजित नहीं हुई :				मंत्रालयों/विभागोंकेनाम,जिनमें वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निर्धारित चार   बैठकें आयोजित नहीं हुई :		
क्रम	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम	
<b>सं.</b> 1.	7	(क) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	18.	64	(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग (मु.)	
2.	8.2	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन (ख) क्षेत्र के कार्यालय	19.	68	(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय (मु.)	
3.	9	उपभोक्ता मामले विभाग (मु.)	20.	69	(क) भारत का निर्वाचन आयोग	
4.	11.3	(ग) जल शक्ति मंत्रालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	21.	70	(क) पंचायती राज मंत्रालय (मु.)	
5.	16.1	(क) नीति आयोग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	22.	72	(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (मु.)	
6.	18	(क) विदेश मंत्रालय	23.	74	(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (मु.)	
7.	21.1	(क) व्यय विभाग के अधीन कार्यालय	24.	79	(क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग( मु.)	
8.	23	(क) राजस्व विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय				
9.	24	(क) आर्थिक कार्य विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय				
10.	27.2	(ख) आयुष मंत्रालय के अधीन "ख" क्षेत्र के कार्यालय				
11.	32	(क) भारी उद्योग मंत्रालय (मु.)				
12.	33	(क) लोक उद्यम विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय				
13.	36.2	(ख) विद्युत मंत्रालय के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय				
14.	48	(क) उर्वरक विभाग (मु.), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय				
15.	49	(क) औषध विभाग (मु.)				
16.	53	(क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (मु.)				
17.	53.3	(ग) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 'ग' क्षेत्र के कार्यालय				

#### **CHAPTER-3**

#### SHORTCOMINGS NOTICED IN THE IMPLEMENTATION OF THE OFFCIAL LANGUAGE POLICY, REMEDIAL MEASURES FOR REMOVING THEM AND SUGGESTIONS FOR BETTER IMPLEMENTATION OF OFFCIAL LANGUAGE POLICY

#### Sources of Statistics on Implementation of Official Language

The implementation of the provisions of the Official Languages Act,1963 and Official Language Rules,1976 framed there under and orders/instructions issued by the Government of India from time to time for stepping up the use of Hindi is ensured by close monitoring of the Quarterly Progress Reports, Annual Assessment Reports and Six-monthly Reports pertaining to training in Hindi, Hindi Typing/Hindi Stenography, IT Tools and Translation Skills. All Ministries/Departments of Central Government prepare the above reports in the prescribed proforma showing the progress made in the use of Hindi and these reports are sent to the Department of Official Language. These reports are scrutinized in the Department of Official Language and shortcomings are brought to the notice of concerned Ministries/Departments.

The deficiencies noticed by comparative assessment of the implementation/ work done by various Ministries / Departments, Offices, Undertakings, etc. have been mentioned in Part -B of Chapter 2.

#### Suggestions for removing the deficiencies noticed in implementation :

The following action is suggested by the Department of Official Language for addressing the deficiencies noticed:

(1) The pending work of Hindi translation of Central Rules, Manuals, Forms, Codes and other procedural literature should be got completed on priority basis according to time bound programme and its publication should be in diglot-form.

(2) Every office must send its reply in Hindi to letters received in Hindi. This Point has always been stressed upon while reviewing the Quarterly Progress reports. If letter received in Hindi is replied to in English the matter is brought to the notice of the concerned office. Offices concerned are requested to review the matter so as to avoid recurrence.

(3) With a view to increase Hindi Correspondence, original Hindi noting/drafting may be encouraged. Ministries / Departments have been asked to do maximum correspondence in Hindi.

(4) Documents mentioned under Section 3 (3) of the Official Languages Act must be issued bilingually. It is specifically stressed that all these documents must be issued in both Hindi and English simultaneously.

(5) Central Government Offices should ensure that all the computers have Unicode enabled on them so that official work in Hindi is done on them easily and smoothly.

(6) Extensive review of progress made in implementation of Official Language Policy should be made in the meetings of the Official Language implementation committees and the Town Official Language Implementation Committees.

(7) It is emphasized that the employees not having working knowledge of Hindi may be got trained through Hindi Teaching Scheme / Central Hindi Training Institute or through the correspondence course of the Central Hindi Directorate.

(8) In the meetings of Hindi Advisory committee, Official Language Implementation Committees and the Town Official Language Implementation Committees as well as on other occasions, attention of senior officers is drawn to the need to encourage the staff to work in Hindi and they are also asked to do their work in Hindi progressively.

#### Measures for removing the shortcomings noticed in implementation:

A number of significant initiatives have been taken by the DOL and notable achievements have been made by various Ministries/ Departments towards wider and more effective use of Hindi as Official Language. Salient features of measures taken by the Department of Official Language include the following:

(i) The Department of Official Language bestows the 'Rajbhasha Gaurav Puraskar' with an objective to encourage writing books originally in Hindi. A revised award scheme named 'Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojna' from the year 2022-23 is introduced by the Department of Official Language. Under the scheme, the citizens of India will be awarded as follows:-

(A) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on knowledge and science based subjects.

(B) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Forensic Science, Police, Criminology Research and Police Administration.

(C) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage.

(D) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi in the field of law.

To promote use of official language Hindi. "**Rajbhasha Kirti Puraskar**" are given by the Department of Official Language to Ministries/Departments, Public Sector Undertakings, Boards/Autonomous Bodies/Trusts etc., Nationalized Banks and in-house Hindi Magazines which register significant progress in the use of Official Language. Information about these two award schemes is available at the website of the Department of Official Language www.rajbhasha.gov.in.

### अध्याय-3

### राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां और उनके निराकरण के लिए सुधारात्मक उपाय तथा राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव

#### राजभाषा के कार्यान्वयन पर सांख्यिकी के स्रोत

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों और हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों का कार्यान्वयन तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट और हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा अनुवाद दक्षताओं से संबंधित छमाही रिपोर्ट के द्वारा निगरानी करके सुनिश्चित की जाती है । केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में उपर्युक्त रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भेजी जाती है । राजभाषा विभाग में इन रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और कमियों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाया जाता है ।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों इत्यादि द्वारा किए गए कार्यान्वयन/कार्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद जानकारी में आई कमियों का अध्याय-2 के भाग 'ख' में उल्लेख किया गया है-

#### कार्यान्वयन में संज्ञान में आई कमियों को दूर करने के लिए सुझाव:

इस संबंध में संज्ञान में आई कमियों के बारे में अवगत कराते हुए राजभाषा विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है :-

- (1) जिन केंद्रीय नियमों, मैनुअलों, फार्मों, संहिताओं और अन्य प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद शेष है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अनूदित कराया जाना चाहिए और उसका डिग्लाट रूप में प्रकाशन होना चाहिए।
- (2) प्रत्येक कार्यालय को हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में ही देना है। इस मुद्दे पर प्रत्येक तिमाही प्रगति रिपोर्ट में निरंतर जोर दिया जाता है । यदि हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाता है तो इस मुद्दे को संबंधित कार्यालय के ध्यान में लाया जाता है । संबंधित कार्यालय से अनुरोध है कि इस मुद्दे की समीक्षा करें ताकि ऐसी पुनरावृति न हो ।
- (3) हिंदी में पत्राचार की वृद्धि के लिए मूल हिंदी टिप्पण/मसौदा लेखन को बढ़ावा दिया जाए। मंत्रालयों/विभागों को अधिकाधिक पत्राचार हिंदी में करने के निर्देश दिए गए हैं।
- (4) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत उल्लिखित दस्तावेज़ों को अनिवार्यत: द्विभाषी रूप में जारी किया जाए । इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि सभी दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किए जाएं ।
- (5) केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड की सुविधा हो ताकि उन पर हिंदी में सरलता और सहजता से काम किया जा सके।

- (6) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए।
- (7) जिन कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं हैं उन्हें हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान अथवा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- (8) हिंदी सलाहकार समितियों, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में और अन्य अवसरों पर कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाए और उनक उत्तरोत्तर हिंदी में कार्य करने के लिए भी अनुरोध किया जाए ।

#### कार्यान्वयन में संज्ञान में आई कमियों को दूर करने के लिए उपाय:-

राजभाषा विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के व्यापक और अधिक प्रभावी उपयोग के लिए उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। राजभाषा विभाग द्वारा किए गए उपायों सहित अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं-

(i) राजभाषा विभाग द्वारा मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने एवं राजभाषा हिंदी क बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राजभाषा गौरव पुरस्कार" दिए जाते हैं । राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से संशोधित "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:-

- (क) हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (ख) न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (घ) विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों/ स्वायत्त निकायों/ ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" दिए जाते हैं। इन दोनों पुरस्कार योजनाओं की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है। (ii) To make personnel of Central Government proficient in Hindi in official work, a training programme "PARANGAT" is being run.

(iii) New Town official Language Implementation Committee is constituted wherever required. The target is to have a Town official Language Implementation committee in each of such district headquarter/ major city in the district having 10 or more Central Government offices.

(iv) The regional Official Language conferences are being held in different parts of the country to ensure efficiency implementation of Official Language Policy and to encourage the employees of different Central Government Offices.

(v) The Third All India Official Language Conference was organized on 14-15 September, 2023 at Shri Chhatrapati Shivaji Sports Sankul, Balewadi, Pune (Maharashtra). It was inaugurated by H'ble Minister of State for Home Shri Ajay Kumar Mishra, Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha Shri Harivansh, Union Minister of state for Health and Family Welfare Dr. Bharati Pravin Pawar, Union Minister of state for Micro, Small and Medium Enterprises Shri Bhanu Pratap Singh Verma and H'ble Shri Bhartruhari Mahtab, Deputy Chairman of Committee of Parliament on Official Language in the presence of other honorable members.

On this occasion, more than nine thousand officers/employees of the Government of India including Secretaries of various offices of the Government of India, senior officials of various banks and public sector undertakings and Hindi scholars from across the country were present. In the program, Hon'ble Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah conveyed his good wishes on the occasion of Hindi Diwas through a video message. Along with this, working towards increasing the use of Kanthastha 2.0 tool in the Government related work, the integration of Kanthastha 2.0 tool in the e-office was launched by the guests present on the stage. Now while working in the e-office, instant translation can be done with the help of this tool and along with that it can be used in the file. Also, Hindi Shabd Sindhu version-2 Hindi Dictionary (new edition with 3,51,000 words) was released. Apart from the above, the new edition of the manual related to the use of official language Hindi was also grandly inaugurated.

(vi) Various awards schemes are being implemented to encourage the use of Rajbhasha Hindi in the official work of Ministries/Departments, Undertakings and Banks. The outstanding achievements are being recognized and honored during the Hindi Day celebrations and Regional Conferences.

(vii) With a view to advising the Ministries/ Departments of Central Government regarding the smooth implementation of Official Language policy, Hindi Advisory Committees have been constituted under the chairmanship of their respective Ministers.

(viii) With a view to reviewing the progressive use of Hindi in the Ministries/ Departments of the Central Govt., a Central Official Language Implementation Committee has been consituted in the Department of Official Language under the chairmanship of Secretary, Department of Official Language. The Officer in-charge (Joint Secretary level) entrusted with the work of Official Language Hindi in Ministries/ Departments are members of this Committee.

(ix) LILA-Rajbhasha (Learn Indian Languages through Artificial Intelligence) mobile app was launched on 14 September 2017. The package is available on the department's website www.rajbhasha.gov.in. Apart from English and Hindi, the Central Government employees can learn Hindi on their own in 14 other Indian languages respectively, Assamese, Bodo, Bangla, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Tamil and Telugu.

(x) "Lila Hindi Pravah" was released on 14<sup>th</sup> September, 2018. This new syllabus under the name "LILA Hindi Pravah" has been designed to provide higher knowledge of Hindi to the general public as well as employees having working knowledge of Hindi language. In addition to English, Hindi can be learned on their own through 14 other Indian languages

(xi) In the updated version of **'Kanthasth 2.0'(Anuvad Sarthi)**, three new features have been added, making it a very useful software. These features are as follows:

**Neural Machine Translation i.e. Machine based Translation**—With the facility of neural machine translation it will now not only translate from its memory (which currently holds around 2 crore sentences) but will also provide machine translation.

**Smart Chatbot** - It's like "May I Help You". It briefly answers many questions for the new user. You may call it "FAQs" or "Frequently Asked Questions". With the help of these, users will get very important information regarding use of Kanthastha.

**Voice Typing** - Now the facility of voice typing has also been made available for typing in this software. User can also type by speaking.

So far, about 2 crore sentences have been uploaded in its globel memory.

(xii) **"E-Saral Hindi Sentences"** was released on 14<sup>th</sup> September, 2019 in which about **Fourteen thousand sentences** have been uploaded by various Ministries / Departments so far.

(xiii) **'Hindi Shabd Sindhu'** is being developed to enrich Hindi with the words from other Languages of the country. In this dictionary, along with the vocabulary related to various subjects i.e. - Mass Communication, Ayurveda, Sports, Space Science, Physics, Chemistry, Biology, Aeronautics, Computer Science, Electronics, Geology, Humanities, etc., traditional vocabulary is also being included. In this dictionary along with the entry, its grammatical category, meaning, synonym, usage as per requirement, antonyms, idioms and other necessary information have been given. This dictionary is completely digital and in searchable format. This will be a dictionary which will be fully up-to-date and inclusive, having collection of all words used in Hindi with their meanings. In the dictionary, words from Hindi languages, media and new media terms, words of technology and science, words of law and justice are also being included. This will be fully Digital - Web based. The dictionary is being developed as per the standardized spelling prescribed by the Central Hindi Directorate. Unicode font is being used in this dictionary which will have facility to search words by typing in Hindi and English.

(xiv) Technical Sammelan: On June 06, 2023 Department of Official Language organized Second Technical Conference at Ambedkar International Center, Janpath, New Delhi for the cadre officers of Central Secretariat Official Language Services. About 700 Officers/ Employees associated with the implementation of the Official Language participated in the Conference which was organized under the chairmanship of Honourable Minister of State for Home Affairs, Government of India, Shri Ajay Kumar Mishra. Detailed presentations for Kanthastha, Quarterly Progress Reports etc. were given and discussions held on various topics related to Hindi. (ii) केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने में दक्ष बनाने के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम 'पारंगत' शुरू किया गया है।

(iii) जहां कहीं आवश्यकता होती है, नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाती हैं । ऐसे जिला मुख्यालयों/जिले के बड़े शहरों, जहां केंद्र सरकार के 10 अथवा अधिक कार्यालय है, प्रत्येक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने का लक्ष्य है ।

(iv) राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों के प्रोत्साहन हेतु देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ।

(V) तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन दिनांक 14-15 सितंबर, 2023 को श्री छत्रपति शिवाजी क्रीड़ा संकुल, बालेवाड़ी, पुणे (महाराष्ट्र) में किया गया । इसका उद्घाटन माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा, राज्य सभा के उप सभापति माननीय श्री हरिवंश, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष माननीय श्री भर्तृहरि महताब एवं अन्य माननीय सदस्यगणों की उपस्थिति में किया गया।

इस अवसर पर, भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के सचिव, विभिन्न बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उच्चाधिकारी और देश भर से आए हिंदी विद्वानों सहित भारत सरकार के नौ हजार से अधिक अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो संदेश के माध्यम से सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दीं। इसी अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा सरकारी कामकाज में कंठस्थ 2.0 टूल का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में काम करते हुए ई-ऑफिस में कंठस्थ 2.0 टूल के एकीकरण की शुरूआत की गई। अब ई-ऑफिस में काम करते हुए वहीं पर इस टूल की सहायता से त्वरित अनुवाद (Instant Translation) प्राप्त किया जा सकता है और फाइल में उसका प्रयोग किया जा सकता है । साथ ही, हिंदी शब्द सिंधु संस्करण-2 हिंदी शब्दकोश (3,51,000 शब्दों के साथ नवीन संस्करण) को भी लोकार्पित किया गया। उपर्युक्त के अतिरिक्त राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक के नवीन संस्करण का भी भव्य लोकार्पण किया गया।

(vi) मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों और बैंकों के सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है । हिंदी दिवस समारोहों और क्षेत्रीय सम्मेलनों के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियों की पहचान करके सम्मानित किया जाता है।

(vii) राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के बारे में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देने की बात को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्रियों की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितिय का गठन किया गया है ।

(viii) केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा को ध्यान में रखते हुए सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में राजभाषा विभाग में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है । मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी के कार्य के प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इस समिति के सदस्य हैं।

(ix) **लीला-राजभाषा (LILA-Learn Indian Languages through Artificial Intelligence)** मोबाइल ऐप का लोकार्पण 14 सितंबर, 2017 को किया गया। यह पैकेज विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है। इसके द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी अंग्रेजी, हिंदी के अलावा 14 अन्य भारतीय भाषाओं क्रमश: असमिया, बोडो, बांगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल एवं तेलुगू के माध्यम से स्वयं हिंदी भाषा सीख सकते हैं।

(x) 14 सितंबर, 2018 को "लीला हिंदी प्रवाह" का लोकार्पण किया गया। हिंदी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ जनसाधारण को भी हिंदी का उच्चतर ज्ञान कराने के लिए "लीला हिंदी प्रवाह" नाम से यह नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें भी अंग्रेजी के अलावा 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से स्वयं हिंदी सीखी जा सकती है।

(xi) "**कंठस्थ 2.0**" (अनुवाद सारथी) के अद्यतन संस्करण में तीन नई विशेषताएं शामिल की गई हैं जिससे यह अब बेहद उपयोगी सॉफ्टवेयर बन गया है। ये फीचर इस प्रकार हैं :-

न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन अर्थात मशीनी अनुवाद- इस सुविधा के अनुसार अब यह न केवल अपनी मेमोरी (जिसमें इस समय करीब 25 लाख वाक्य हैं) से अनुवाद देगा बल्कि मशीनी अनुवाद भी उपलब्ध कराएगा।

स्मार्ट चैटबोट- यह May I Help You की तरह है। इसमें नए प्रयोक्ता के लिए बहुत सारे प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दिए गए हैं। आप इन्हें एक प्रकार से "FAQs" या "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" कह सकते हैं। इनसे प्रयोक्ताओं को कंठस्थ का प्रयोग करने में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

वॉयस टाइपिंग -अब इस सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करने के लिए वॉयस टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। प्रयोक्ता बोलकर भी टाइप कर सकते हैं।

इसकी ग्लोबल मेमोरी में अब तक करीब 2 करोड़ वाक्यों को अपलोड किया जा चुका है ।

(xii) राजभाषा विभाग द्वारा **"ई-सरल हिंदी वाक्यकोश"** का लोकार्पण 14 सितंबर, 2019 को किया गया जिसमें विभिन्न मंत्रलयों/विभागों द्वारा अब तक लगभग **चौदह हजार** वाक्य अपलोड किए गए हैं।

(xiii) **हिन्दी शब्द सिंधु-** बृहत् शब्दकोश देश की अन्य भाषाओं से हिंदी को समृद्ध करने की दिशा में विकसित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विषयों– जनसंचार, आयुर्वेद, खेलकूद, अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, वैमानिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इलैक्ट्रॉनिक्स, भू-गर्भशास्त, मानविकी आदि से संबंधित शब्दावली के साथ-साथ पारंपरिक शब्दावली को भी समाहित किया जा रहा है। इस शब्दकोश में शब्द की प्रविष्टि के साथ-साथ उसकी व्याकरणिक कोटि, अर्थ, पर्याय, आवश्यकतानुसार प्रयोग, विलोम, मुहावरे एवं तत्संबंधी अन्य आवश्यक जानकारियाँ दी गई है। यह शब्दकोश पूर्णतया डिजिटल तथा खोजपरक (सर्चेबल) है। यह एक ऐसा शब्दकोश होगा जो पूर्णतः अद्यतन और समावेशी होगा तथा इसमें हिंदी में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों का अर्थ सहित संग्रह होगा। इस शब्दकोश में हिंदी और हिंदी क्षेत्र की बोलियों, उपभाषाओं और भाषाओं के शब्द, अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द, मीडिया और न्यू मीडिया के शब्द, तकनीक और विज्ञान के शब्द तथा विधि एवं न्याय के शब्द भी शामिल किए जा रहे हैं । यह पूर्णतया डिजिटल वेब आधारित होगा तथा इसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकीकृत वर्तनी के अनुसार तैयार किया जा रहा है। इसमें यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग किया जा रहा है तथा इसमें हिंदी, अंग्रेजी में टंकण कर शब्द खोजने की सुविधा होगी।

(xiv) तकनीकी सम्मेलन : राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 06 जून, 2023 को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों हेतु अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में द्वितीय तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें केंद्र सरकार के राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े लगभग 750 अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हुए । माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री अजय कुमार मिश्रा जी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे कंठस्थ, तिमाही प्रगति रिपोर्ट आदि पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं और विचार-विमर्श किया गया।